भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(मार्क्सवादी)

चुनाव घोषणापत्र

18वीं लोकसभा

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
चुनाव घोषणापत्र
18वीं लोकसभा

भाग 1

लोकसभा चुनाव 2024 ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य को मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के एक दशक लंबे शासन द्वारा उत्पन्न अस्तित्वगत संकट का सामना करना पड़ रहा है।

भारत ने संविधान के चार स्तंभों – धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संघवाद और सामाजिक न्याय – को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की प्रक्रिया देखी है। राज्य सत्ता और उसके संसदीय बहुमत का दुरुपयोग करते हुए, मोदी सरकार के अधिनायकवादी–सांप्रदायिक शासन ने, भारत के मेहनतकश लोगों के अधिकारों को कुचलने के लिए फासीवादी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे भारत दुनिया के सबसे असमान समाजों में से एक बन गया है, जबकि उसने जनता को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए अपनी जहरीली सांप्रदायिक विचारधारा को बड़े पैमाने पर फैलाया है।

इस प्रकार, 18वीं लोकसभा के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इसके नतीजे यह निर्धारित करेंगे कि चुनावों में अपने वोट के माध्यम से 'हम लोग' भारत के संविधान द्वारा निर्धारित भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। हमें इसमें कोई भूल नहीं करनी चाहिए कि, लोकसभा चुनाव, भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक चरित्र को, अत्यधिक असहिष्णु, घृणा और हिंसा आधारित अधिनायकवादी और फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र में बदलने के भाजपा के प्रयास के खिलाफ, भारत को

बचाने के बारे में है। यह भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस का खुले तौर पर घोषित लक्ष्य है, जिसकी अब देश की हर संस्था तक अभूतपूर्व पहुंच है, जो भारत की रगों में अपना सांप्रदायिक जहर फैला रहा है।

पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से, इन पांच वर्षों में, भारत ने कामकाजी लोगों, किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्षों के माध्यम से, एक लड़ाई, प्रतिरोध को भी देखा है। इनमें से कई संघर्षों ने, विशेष रूप से किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष ने, यह साबित कर दिया है कि एकजुट लोग इस सरकार की शक्ति और दमन को चुनौती दे सकते हैं और हरा सकते हैं। इस अवधि में, हमने वैकल्पिक नीतियों की संभावना भी देखी है, जैसे कि केरल में सीपीआइ (एम) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार (एलडीएफ) द्वारा लागू की गई नीतियां, जो उसको आर्थिक रूप से किनारे करने के सभी केंद्रीय प्रयासों के बावजूद, जनपक्षीय नीतियों और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में उभरी हैं।

सीपीआइ (एम) भारत के लोगों के सामने अपना घोषणापत्र इस स्पष्ट समझ के साथ रख रही है कि सबसे पहले भाजपा और उसके सहयोगियों की हार सुनिश्चित करना प्रत्येक देशभक्त का परम कर्तव्य है। सीपीआइ (एम) इस सामूहिक कर्तव्य को मजबूत करने और केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना में मदद करने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करने का संकल्प लेती है। इसके लिए, और जनपक्षीय नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए, संसद में सीपीआइ (एम) की मजबूत उपस्थिति आवश्यक है।

घोषणापत्र का भाग 1 मुख्य वर्तमान मुद्दों पर केंद्रित है। घोषणापत्र के भाग 2 में वैकल्पिक नीतियों के लिए सीपीआइ (एम) के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, जो हमारी जनता के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती हैं।

धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करें

लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को समाप्त कर दिया जाता है तो लोकतंत्र स्वयं कमजोर हो जाता है जैसा कि भाजपा शासन में हो रहा है।

संविधान प्रत्येक नागरिक को, नास्तिक होने सहित, उसके धार्मिक विश्वास के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान के तहत, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय

के कई निर्णयों में भी परिलक्षित होता है, राज्य और सरकार को, किसी विशेष धर्म के साथ पहचाने जाने या उसे बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया गया है। धर्म और राजनीति के बीच इस अनिवार्य अलगाव को लगभग त्याग दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा, स्वयं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करके, अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन, धार्मिक पदाधिकारियों की भूमिका को हथियाते हुए, राज्य से धर्म को अलग करने के मूल सिद्धांत पर एक जबरदस्त हमला है। न ही यह एकमात्र उदाहरण है। नए संसद भवन, या काशी विश्वनाथ गंगा गलियारे का उद्घाटन, मोदी को एक महापुजारी के रूप में पेश करके किया गया, जिसने हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व किया और इन्हें राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के रूप में पेश किया गया। संकेत स्पष्ट हैं: भाजपा सरकार के तहत, भारत तेजी से मनुवादी विचारधारा पर आधारित हिंदुत्व राज्य बनता जा रहा है।

चुनाव की पूर्व संध्या पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) के नियमों की अधिसूचना मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया एक खतरनाक कदम है। सीपीआइ (एम) और अन्य लोकतांत्रिक दलों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है क्योंकि यह नागरिकता को धर्म से जोड़ना चाहता है और इस प्रकार अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। सीपीआइ (एम) के नेतृत्व वाली केरल एलडीएफ सरकार यह प्रस्ताव अपनाने वाली देश की पहली सरकार थी कि इसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारों के विरोध को दरकिनार करने के लिए, अधिसूचित नियम आमंत्रितों को छोड़कर, नागरिकता पंजीकरण का निर्णय लेने वाले पैनल में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व से वंचित कर देते हैं। यह संविधान पर एक और हमला है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नफरत और हिंसा के खतरनाक अभियान तेजी से बढ़ रहे हैं। सशस्त्र भीड़ को सांप्रदायिक हमले करने की इजाजत है। 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा एक संगठित, पूर्व नियोजित हमला थी। अपराधियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, नफरत और हिंसा फैलाने वाले भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा मंत्री और नेता बच गए हैं, लेकिन पीड़ितों पर मुकदमा चलाया गया है। भाजपा की राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए निजी सेनाओं को वैध बना रही हैं, और कई ने बुलडोजर राजनीति की नीति अपनाई है, अवैध अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है। भाजपा की राज्य सरकारों ने सांप्रदायिक

ध्रुवीकरण को तेज करने के उद्देश्य से कानून बनाए हैं। इनमें गाय और मवेशी संरक्षण, मवेशी व्यापार और मांस बिक्री, तथाकथित लव जिहाद, समान नागरिक संहिता आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, जो नियमित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं, उन पर शारीरिक हमला करते हैं और उन पर कानूनी मुकदमा चलाते हैं। तथाकथित धर्म संसदों में मुसलमानों के नरसंहार की खतरनाक रूप से बढ़ती मांगों के साथ, इस तरह के वीभत्स घृणा और हिंसा के अभियानों को सामान्य बना दिया गया है।

इस अवधि में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले भी तेजी से बढ़े हैं, भाजपा राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोध के नाम पर सबसे कठोर कानून अपनाए जा रहे हैं। हमले विशेष रूप से गरीब आदिवासी समुदायों को निशाना बनाते हैं। मणिपुर भाजपा–डबल इंजन सरकार की बहुसंख्यकवादी नीतियों के कारण हुई तबाही का दुखद उदाहरण है जहां आदिवासियों को उनकी जातीयता के साथ–साथ उनके धर्म के कारण विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जिनमें से अधिकांश ईसाई हैं। मणिपुर इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि इस तरह की विभाजनकारी राजनीति विविधता और बहुलवाद को कैसे नष्ट कर सकती है, जो भारत, विशेषकर उत्तर–पूर्व के लिए, इतनी अनूठी है।

सीपीआइ (एम) धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में सिद्धांत और व्यवहार की एकता का एक उदाहरण होने का वैध रूप से दावा कर सकती है। इसका अल्पसंख्यक समुदायों और हाशिये पर पड़े लोगों के अधिकारों के साथ बिना किसी समझौते या अपवाद के खड़े होने का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड है, साथ ही अल्पसंख्यक कट्टरवाद की सभी ताकतों का पुरजोर विरोध और मुकाबला करने का भी इसका गौरवपूर्ण रिकॉर्ड है।

सीपीआइ (एम) इस सिद्धांत के अडिग पालन के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करती है कि धर्म राजनीति, राज्य, सरकार और प्रशासन से अलग है। यह नफरत भरे भाषण और अपराधों के खिलाफ कानून के लिए लड़ेगी। यह सीएए को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकतंत्र बचाओ

मोदी सरकार की सभी असहमतियों को राष्ट्र–विरोधी करार देने की अघोषित नीति है। इस प्रकार यह एक लोकतांत्रिक देश के मूल आधार –

असहमति के अधिकार – को कमजोर कर रही है। इसने प्रमुख और प्रतिबद्ध राजनीतिक, लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लेने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे कठोर कानूनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। उन्हें जमानत के अधिकार से वंचित किया गया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। विशेष रूप से जो पत्रकार निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए अपना कर्तव्य छोड़ने से इनकार करते हैं, वे हमले के विशेष लक्ष्य हैं, एक स्वतंत्र मीडिया की आवश्यक संस्था को नष्ट किया जा रहा है जो अब लगभग पूरी तरह से मोदी सरकार के बड़े व्यापारिक मित्रों द्वारा नियंत्रित है। सबसे भयानक दमन का सामना मेहनतकश जनता के जनसंघर्षों को करना पड़ता है। यह अनसुना है कि एक निर्वाचित सरकार शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करे, उन्हें देश का दुश्मन माने, जो कि मोदी सरकार ने किया है।

पिछले पांच वर्षों में, संसद को ही गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है, कभी–कभी पूरे सत्र के लिए विपक्षी सांसदों के थोक निष्कासन, स्थायी समितियों जैसे सर्वदलीय पैनल के संदर्भ के बिना कानूनों को बुलडोजर से कुचलने, कानूनों को बिना चर्चा के आगे बढ़ाने के लिए बहुमत का उपयोग करने के साथ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्वतंत्र संस्थाओं – संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य को गंभीर रूप से कमजोर किया जा रहा है। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग जैसी जनसंघर्षों से बनी संस्थाएँ सरकार के हथियार के रूप में कार्य कर रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) जैसी केंद्रीय एजेंसियां सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक शाखा के रूप में काम कर रही हैं, जो विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं। इसका उद्देश्य उन्हें डराना, धमकाना, परेशान करना है ताकि वे सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाएं और यदि वे ऐसा करते हैं, तो सभी आरोप गायब हो जाते है। भाजपा का नारा है 'या तो हमारे साथ आओ या जेल जाओ।'

विभिन्न संदिग्ध तरीकों से जमा की गई धन शक्ति का बेधड़क इस्तेमाल,

बड़े पैमाने पर खरीद–फरोख्त और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है। कई राज्यों में जहां भाजपा चुनाव हार गई, वह इस तरीके से राज्य सरकारें बनाने और उनका नेतृत्व करने में सफल रही। यह लोकतंत्र का मखौल उड़ाता है और जनता के चुनावी जनादेश को नकारता है।

संपूर्ण चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें सीपीआइ (एम) एक याचिकाकर्ता थी, राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने के एक अवसर के रूप में चुनावी बांड योजना के लिए, सीपीआइ (एम) के मजबूत और सैद्धांतिक विरोध को मान्य बनाता है। आखिर तक, मोदी सरकार ने अपने कॉर्पोरेट मित्रों के साथ आपसी आदान–प्रदान (क्युड प्रो कुओ) की भावना को छिपाकर अपने द्वारा प्राप्त भारी फंडिंग को छुपाने की कोशिश की है, जिससे यह साबित होता है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में उसका रिकॉर्ड है। अपने वर्तमान नेतृत्व में भाजपा सबसे भ्रष्ट साबित हुई है।

मोदी सरकार ने एक भयावह निगरानी राज्य की रूपरेखा तैयार की है जो नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन करती है। इसने केवल दोषी ही नहीं, बल्कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों के बायो–मीट्रिक डेटा के संग्रह के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम आदि जैसे कठोर कानून बनाए हैं। इसने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुख्यात इजराइली पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है। निगरानी व्यवस्था स्थापित करके पुलिस राज्य को मजबूत करने से हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को खतरा है।

सीपीआइ (एम) यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने, स्वतंत्र संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के कदमों की पक्षधर है।

आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करें

जनता की समृद्धि में वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रित करने के लिए, बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान, काफी हद तक, सरकार द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर डेटा धोखाधड़ी पर आधारित है। केवल एक उदाहरणः इस वर्ष नाममात्र जीडीपी वृद्धि 9.1 प्रतिशत है। वास्तविक विकास दर पर पहुंचने के लिए इसे मुद्रास्फीति

सूचकांक द्वारा घटाया जाता है। सरकार ने 1.5 को अपस्फीतिकारक (डिफ्लेटर) के रूप में उपयोग किया है जब मुद्रास्फीति की दर लगभग 6 प्रतिशत है और खाद्य मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक है। यदि मुद्रास्फीति की दर के करीब 6 को अपस्फीतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वास्तविक विकास दर लगभग 3 प्रतिशत होगी। लेकिन सरकार इस निराशाजनक हकीकत को छुपाने की कोशिश करती है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जी–20 देशों में सबसे कम है।

मोदी सरकार का 'मेड इन इंडिया' नारा वास्तव में 'भारत की लूट' नीति रही है। मोदी शासन के प्रतीक कॉर्पोरेट–सांप्रदायिक गठजोड़ ने शातिर क्रोनी पूंजीवाद और राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सार्वजनिक निवेश से निर्मित संपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपना है। बिना किसी निवेश के, निजी क्षेत्र को राजस्व प्राप्त करने के लिए एकाधिकार नियंत्रण का लाइसेंस मिल जाता है। देश की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को निजी लूट के लिए खोल दिया गया है। विभिन्न कानून बनाए गए हैं और अन्य मामलों में, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षति के प्रभावों के अलावा, बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करने वाले आदिवासी और अन्य वन निवासी समुदायों की कीमत पर इस लूट को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षात्मक कानूनों में संशोधन किया गया है।

दरअसल मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विनियमितिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की गति को तेज कर दिया है, जिससे विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट दोनों को काफी फायदा हुआ है। पूंजीपतियों को बैंक जमा से लोगों की जीवन भर की बचत लूटने की अनुमति है। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने 17.46 लाख करोड़ रुपये के बैंक कर्ज माफ कर दिए हैं। कॉरपोरेट्स और अमीरों को भारी कर रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इससे आर्थिक असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऑक्सफैम से पता चलता है कि भारत की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति का स्वामित्व मात्र 1 प्रतिशत आबादी के पास है। निचले 50 प्रतिशत का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है। अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2023 में 169 हो गई।

दूसरी ओर, भारत के श्रमिक वर्गों के खिलाफ एक अभूतपूर्व हमला हुआ है, जिससे उनके कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को छीन लिया

गया है, जिनकी जगह कॉरपोरेट समर्थक श्रम कोड लागू कर दिए गए हैं। यूनियन बनाने के मूल अधिकार पर भी गंभीर हमला हो रहा है।

सरकार वास्तव में भारत के किसानों के अधिकारों पर चौतरफा हमला करके कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण करने की कोशिश कर आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर रही है। यद्यपि किसानों के एक साल के ऐतिहासिक संघर्ष के सामने, उसे अपने तीन किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने अपने आश्वासनों को लागू न करके किसानों को धोखा दिया है। यह वास्तव में भारत की आत्मनिर्भरता और आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करता है।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र, इसकी प्राकृतिक संपदा, इसकी श्रम शक्ति, इसके किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के बिना कोई आर्थिक संप्रभुता नहीं हो सकती।

सीपीआइ (एम) भारत की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए और इसे उलट दिया जाना चाहिए। सामान्य संपत्ति कर और विरासत कर के साथ–साथ अति–अमीरों पर कर का कानून बनाया जाना चाहिए। श्रमिक–समर्थक कानूनों में प्रतिबिंबित श्रमिकों के अधिकारों को श्रम कोड की जगह लेना चाहिए, खाद्य सुरक्षा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी के माध्यम से भारत के किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है।

कीमतों पर नियंत्रण रखें, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करें

मोदी सरकार द्वारा कोविड महामारी से निपटने के आपराधिक कुप्रबंधन और उसके त्रुटिपूर्ण अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण लोगों की पीड़ा और हताहतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। उस परिदृश्य में, एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले केरल मॉडल ने एक विकल्प दिखाया। बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल वास्तव में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की मदद करती है। इसके बजाय चिकित्सा देखभाल चाहने वाले व्यक्तिगत रोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का एक

संयोजन होना चाहिए।

मोदी सरकार ने तथाकथित बहुआयामी सूचकांक का उपयोग करके भारत की बढ़ती गरीबी की सीमा को छिपाने के लिए मनगढ़ंत तरीके अपनाए हैं, जिसमें जनधन खाता, घर में शौचालय होना आदि जैसे कारक शामिल हैं। वास्तव में, हर महत्वपूर्ण सूचकांक, जो वास्तव में जनता की गरीबी को मापता है, जैसे वैश्विक भूख सूचकांक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनता के बीच, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच, कुपोषण, भूख और अभाव के उच्च स्तर को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा पर 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की एक रिपोर्ट (2023) से पता चलता है कि 74.1 प्रतिशत भारतीय, लगभग 1.043 बिलियन लोग, 2021 में स्वस्थ आहार नहीं पा सके।

मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसने 2014–2015 से 2023–24 की पहली छमाही के बीच, बढ़े हुए करों के माध्यम से, 28.33 लाख करोड़ रुपये की भारी सीमा तक राजस्व जुटाते हुए, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। यह और कुछ नहीं बल्कि लोगों की कमाई से बड़े पैमाने पर जेब काटने की कवायद है। इस तरह की मूल्य वृद्धि का आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं, विशेषकर महिलाएं जो परिवार के अस्तित्व के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करती हैं।

करों में कटौती करने और विस्तारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने की बजाय, जोकि कुछ राज्य सरकारों, विशेष रूप से केरल में एलडीएफ सरकार द्वारा किया जा रहा है, मोदी सरकार ने वास्तव में भोजन के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती की है और लोगों के लिए उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा कम कर दी है।

साथ ही श्रम बल सर्वेक्षण से पता चला है कि औसत वास्तविक मजदूरी 2014 से स्थिर है। इसलिए, औसत वास्तविक मजदूरी स्पष्ट रूप से गिर रही है जिससे खपत कम हो रही है। 2023 में, घरेलू बचत में, 47 सालों का निचला स्तर दर्ज किया गया है (आरबीआइ)। इससे घरेलू ऋणग्रस्तता बढ़ रही है और उपभोग आवश्यकताओं के लिए उधारी तेजी से बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू मांग में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में, और इसीलिए रोजगार सृजन में, गिरावट आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के

कायाकल्प की कुंजी जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने वाली नीतियां हैं।

सीपीआइ (एम) पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों में तत्काल कटौती, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की नीतियों की पक्षधर है और मांग करती है कि 81 करोड़ लोगों के लिए 5 किलोग्राम अनाज के मुफ्त राशन की आपूर्ति के साथ साथ, 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले अनाज (चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो) की आपूर्ति बहाल की जाए। राज्य वित्त पोषण के साथ एक सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी

मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है बेरोजगारी में भारी वृद्धि। मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इस गारंटी को लागू करना तो दूर, पिछले पांच वर्षों में वास्तव में नौकरियों में कमी देखी गई है। भारत में हाल के दशकों में बेरोजगारी का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है, जोकि मोदी सरकार के 2023 में 6 साल की कम बेरोजगारी दर के दावे के विपरीत है। सीएमआईई ने दिखाया है कि बेरोजगारी दर अगस्त 2023 में 8.1 प्रतिशत थी। युवा बेरोजगारी (15–24 वर्ष) 23.22 प्रतिशत थी। स्नातकों में यह बहुत अधिक 42 प्रतिशत है। यहां तक कि बहुकल्पित आईटी क्षेत्र में भी जनवरी–दिसंबर 2023 के बीच शीर्ष 4 कॉरपोरेट्स द्वारा 65,000 कर्मचारियों की छंटनी की गई। महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, खासकर ग्रामीण महिलाएं।

विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुमानित 25 लाख नौकरियां खाली हैं। सरकार ने जानबूझकर इन रिक्तियों को नहीं भरा है। इसके बजाय इसके शासन में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के आकस्मिकीकरण, ठेकेदारीकरण और अनौपचारिकीकरण के कारण नौकरियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार संपूर्ण रूप से सबसे अधिक उत्पादक कार्यबल पर एक बड़ा हमला हो रहा है। यहां तक कि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सशस्त्र बलों में भर्ती भी अब क्रूर 'अग्निवीर' योजना के तहत की जा रही है।

कोविड काल के दौरान, विशेषकर ग्रामीण भारत में, नौकरियों और आय में

जो भारी नुकसान देखा गया, उसमें शायद ही कोई बदलाव आया है। लेकिन, शहरी क्षेत्रों में, रोजगार की कमी को देखते हुए, भारत आज रिवर्स माइग्रेशन का अनुभव कर रहा है – लोग जीवित रहने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं। 2023–24 में लगभग 9.84 करोड़ परिवारों ने कड़ी मेहनत और कम मजदूरी के बावजूद मनरेगा के तहत काम करने का विकल्प चुना, जो वैकल्पिक रोजगार की कमी को दर्शाता है। लेकिन यहां भी मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटन में कटौती करके लोगों को धोखा दिया है, जिससे भारी वेतन बकाया हो गया है।

सीपीआइ (एम) काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल करने की पक्षधर है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों की रिक्तियों को तत्काल भरा जाना चाहिए। एमएसएमई को मजबूत और विस्तारित करें जो रोजगार पैदा कर सके। मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन दोगुना किया जाना चाहिए। शहरी रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया कानून बनाया जाना चाहिए और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। नौकरी हानि में वृद्धि की वर्तमान नीतियों में बदलाव के माध्यम से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के खात्मे को उलटा किया जाना चाहिए।

शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को मजबूत करें, उच्च शिक्षा का निजीकरण रोकें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण पर जोर देने के साथ शिक्षा के अधिकार पर एक सीधा हमला है। सार्वजनिक शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से भी कम है, जबकि छात्रों और युवाओं की कीमत पर शिक्षा के अधिकार को लाभ कमाने के अधिकार में बदलने के लिए निजी खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं। इसके साथ ही, एनईपी, पाठ्यक्रम में सबसे आपत्तिजनक चूकों और निर्देशों के साथ, शिक्षा के सांप्रदायिकरण की वकालत करती है, जो इतिहास को पूरी तरह से विकृत करने, अवैज्ञानिक और तर्कहीन सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार के अधीन प्राधिकरण के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, कुलपतियों और संकाय की नियुक्ति सहित, अपने संबंधित राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में राज्यों के अधिकारों पर हमला है। सबसे परेशान करने वाली प्रवृत्ति व्यक्तियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि हिंदुत्व विचारधारा के

प्रति निष्ठा के आधार पर है।

सीपीआइ (एम) शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत की वृद्धि की पक्षधर है, वह व्यावसायीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीकरण की नीतियों को उलटने की पक्षधर है।

संघवाद को मजबूत करें, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करें

मोदी सरकार की संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना राज्यों के अधिकारों की कीमत पर जबरदस्ती केंद्रीकरण की उसकी खतरनाक नीतियों में परिलक्षित होती है। यह अवधि सभी क्षेत्रों – राजनीतिक, राजकोषीय, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक – में संघवाद पर लगातार चौतरफा हमले से चिह्नित है। विपक्ष शासित राज्यों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। राज्यपाल और उपराज्यपाल नियमित रूप से सभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। गैर–भाजपा शासित राज्यों में, राज्यपालों को राज्य सरकारों के कामकाज में तोड़फोड़ और गड़बड़ी करने के केंद्र के रूप में कार्य करते देखा जाता है। कई गैर–भाजपा राज्य सरकारें इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए मजबूर हुई हैं।

केरल एलडीएफ सरकार को केंद्र द्वारा वित्तीय रूप से किनारे करने के लिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वह वैकल्पिक नीतियों को लागू करना चाहती है।

केंद्र सरकार संविधान की राज्य और समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बनाकर लगातार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, राज्य सरकारों की स्वायत्तता सीमित है। केंद्र सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा देने से इनकार करते हुए जानबूझकर हिंदी को बढ़ावा देती है।

राजकोषीय संघवाद : राज्यों के लिए राजकोषीय गुंजाइश गंभीर रूप से कम हो रही है। मोदी सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। राज्यों को केंद्र द्वारा एकत्रित कर राजस्व के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। राज्यों को 42 प्रतिशत हिस्सा मिलना था, इसके बजाय, उन्हें जो मिलता है वह लगभग 32 प्रतिशत है।

राज्य सरकारें उधार लेने से प्रतिबंधित हैं और एफआरबीएम अधिनियम की शर्तें राज्यों की संसाधन जुटाने की क्षमता को प्रतिबंधित करती हैं।

सीपीआइ (एम) राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की बहाली की पक्षधर है जिन्हें मोदी सरकार ने गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। सीपीआइ (एम) केंद्रीय करों के कुल संग्रह का 50 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने की पक्षधर है, जिसमें केंद्र द्वारा लगाए गए अधिभार और उपकर का हिस्सा भी शामिल है। वह मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल में से एक राज्यपाल को चुनने की पक्षधर है। उन नीतियों को समाप्त करने की पक्षधर है जो राज्यों की कीमत पर केंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय के उद्देश्य को साकार करने के लिए सभी को समानता की संवैधानिक गारंटी से दूर जाकर, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों को अधिक अन्याय और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

मोदी शासन के दस वर्षों में भाजपा सरकार के मनुवादी दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चौतरफा हमला देखा गया है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन की संवैधानिक भावना को लागू करने के बजाय, मोदी सरकार ने जाति व्यवस्था के पदानुक्रम को बनाए रखते हुए राजनीतिक लाभ के लिए संकीर्ण जाति पहचान को बढ़ावा देने के लिए सनकी तरीकों का इस्तेमाल किया है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों में एसटी/एससी पदों पर रिक्तियों का भारी बैकलॉग सबसे अधिक हाशिये पर पड़े और उत्पीड़ित वर्गों के लिए आरक्षण पर इसकी दोहरी नीति का संकेत है। जहां सरकार की आउटसोर्सिंग और निजीकरण की नीतियों ने नौकरियों की संख्या में भारी कमी की है, वहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कानून बनाने से इनकार ने इस संवैधानिक गारंटी को कमजोर कर दिया है। एसटी/एससी छात्रों की छात्रवृत्ति में भी भारी बकाया देखा गया है। आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं, जिससे विस्थापन और गरीबी बढ़ रही है।

बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार और हमले कई गुना बढ़ गए हैं। ग्रामसभा की महत्वपूर्ण भूमिका सहित कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के खत्म होने के कारण आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा

रहा है। जंगलों का व्यवसायीकरण और निजीकरण होने से आदिवासियों का विस्थापन तेजी से बढ़ा है। आदिवासियों को एक सजातीय हिंदू पहचान के तहत आत्मसात करने के प्रयासों के साथ, भाजपा शासित राज्यों में ईसाई आदिवासियों पर तेजी से हमले हो रहे हैं।

मोदी सरकार ने महिला आरक्षण कानून को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर महिलाओं के साथ धोखा किया है। यह उन महिलाओं के लिए बड़ा झटका है जिन्हें इसी चुनाव में एक तिहाई आरक्षण मिलना उचित था। महिलाओं को नौकरियों और आय के नुकसान के साथ आर्थिक संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे उन्हें जीवित रहने के लिए कर्ज में डूबना पड़ रहा है। विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं को जाति, लिंग और वर्ग के कारण तिहरा बोझ झेलना पड़ता है। मोदी शासन के दस वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा में 28 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि हुई है। सत्तारूढ़ दल द्वारा पितृसत्तात्मक, सांप्रदायिक और जातिवादी प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली प्रतिगामी मनुवादी विचारधाराओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यौन अपराधों में न्याय की प्रक्रियाओं का सांप्रदायिकरण है जैसा कि बिलकिस बानो मामले में दिखाया गया था। इसके अलावा, भाजपा के समर्थकों को उनके शक्तिशाली जातीय संबंधों के आधार पर दी गई सुरक्षा जैसे कि हाथरस मामले में और महिला पहलवानों के सिलसिलेवार यौन उत्पीड़न के आपराधिक आरोपियों को दी गई सुरक्षा ने सत्तारूढ़ शासन के घोर पाखंड को उजागर किया है।

सीपीआइ (एम) निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एक कानून और बिना किसी कटौती के आरक्षित पदों में रिक्तियों को तत्काल भरने; आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और सांस्कृतिक समावेशीकरण को समाप्त करने की पक्षधर है। देश में ओबीसी पर उचित डेटा प्राप्त करने के लिए 2021 की विलंबित सामान्य जनगणना के साथ–साथ जाति जनगणना करना आवश्यक है। वह महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन, अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए न्याय की प्रक्रियाओं को मजबूत करने की पक्षधर है।

भ्रष्टाचार को वैध बनाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले दस साल से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की भी घोषणा की थी। बेशक, भाजपा सरकार का रिकॉर्ड इसके ठीक उलट है। अंतर केवल इतना है कि मोदी शासन के तहत भ्रष्टाचार को वैध कर दिया गया और यह तेजी से बढ़ा– चाहे वह चुनावी बांड योजना के माध्यम से हो या पीएम केयर्स फंड के माध्यम से।

चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप, चुनावी बांड पर यह डेटा कि, किसने इसकी सदस्यता ली और किस पार्टी ने इसे भुनाया, अब बिल्कुल स्पष्ट सबूत है। बीजेपी को बांड के माध्यम से 8,252 करोड़ रुपये मिले हैं, जो बांड के माध्यम से सब्सक्राइब की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत है। भाजपा ने कॉरपोरेट्स से यह पैसा आपसी आदान–प्रदान (क्युड प्रो क्वो) के माध्यम से जुटाया है, जिसके तहत बांड के माध्यम से रिश्वत के बदले अनुबंध और मंजूरियां दी गई हैं। दूसरा तरीका ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करके जबरन वसूली करना है। इसके अलावा, चुनावी बांड ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोल दिए। कई कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे जिनकी कीमत उनके मुनाफे से कई गुना ज्यादा है। संक्षेप में, भाजपा गुमनाम चुनावी बांड के माध्यम से रिश्वत–सह–जबरन वसूली रैकेट चला रही है।

सीपीआइ (एम) एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने चुनावी बांड योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बांड के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया। वह बांड योजना को चुनौती देने के लिए सफलतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालय में गयी है।

2013 से 2023 के बीच, बीजेपी को भी, कॉरपोरेट्स द्वारा 7,726 करोड़ रुपये की गैर–चुनावी बांड राजनीतिक फंडिंग के करीब 65 फीसदी रुपये मिले।

सीपीआइ (एम) चुनावी प्रणाली में धन शक्ति के उपयोग को रोकने के लिए तत्काल चुनाव सुधारों की पक्षधर है। इसके लिए पार्टी चाहती है कि चुनाव में सरकारी फंडिंग हो और राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर रोक लगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट्स को फंड देना चाहिए और इस

तरह के योगदान को राज्य चुनावी फंड में जमा किया जाना चाहिए और राज्य के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर

2019 में मोदी सरकार के पहले कृत्यों में से एक अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और जम्मू और कश्मीर राज्य को भंग करके इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करना था। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 35ए को भी निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, इसने भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य को निशाना बनाने और विलय पत्र के हिस्से के रूप में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त करने के आरएसएस के लंबे समय से चले आ रहे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। जब यह किया जा रहा था, तब राज्य के सभी राजनीतिक नेताओं और विभिन्न अन्य लोगों को कठोर कानूनों के तहत अंधाधुंध हिरासत में ले लिया गया और इंटरनेट शटडाउन आदि जैसे गंभीर प्रतिबंध लगाए गए।

तब से, परिसीमन आयोग के माध्यम से, जम्मू–कश्मीर के जनसांख्यिकीय चरित्र और संरचना को बदलने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जम्मू–कश्मीर के स्थायी निवासियों की अधिवास स्थिति का क्षरण और भूमि अधिकारों का क्षरण किया जा रहा है। राज्य विधानसभा के चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं।

आर्थिक विकास और आतंकवाद के खात्मे के बड़े–बड़े दावों के बावजूद, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी में 71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। पूरे जम्मू–कश्मीर में 2019 से 2022 के बीच सालाना आतंकी हमलों की संख्या 150–125 के बीच रही है। इसी तरह, इस अवधि में मुठभेड़ की घटनाएं सालाना सौ से अधिक रहीं। बेरोजगारी के राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक होने के अनुमान के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सेब उत्पादकों और छोटे व्यवसाय मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू–कश्मीर राज्य को भंग करने की चुनौतियों को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर गंभीर परिणाम होंगे। इस तथ्य को नकारते हुए कि जम्मू–कश्मीर के विलय का दस्तावेज अनुच्छेद 370 में निहित

एक विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए सशर्त था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विलय के बाद जम्मू–कश्मीर संप्रभुता के किसी भी तत्व को बरकरार नहीं रखता है। इस फैसले के देश के सभी राज्यों पर गंभीर परिणाम होंगे जहां राज्यपाल की सहमति से निर्वाचित विधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसकी सीमाएं बदली जा सकती हैं या राज्य का दर्जा भंग किया जा सकता है।

जम्मू–कश्मीर की धारा 370 द्वारा दी गई स्वायत्त स्थिति के प्रति सीपीआइ (एम) की निरंतर प्रतिबद्धता जम्मू–कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मंच का उपयोग करने में परिलक्षित होती है। सीपीआइ (एम) राज्य विधानसभा के लिए तत्काल चुनाव और पहले कदम के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की पक्षधर है।

उत्तर पूर्व

मणिपुर में जातीय संघर्ष मई 2023 से जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए। उत्तर पूर्व और असम में अवैध प्रवासियों की बाढ़ के आरएसएस के प्रचार को दोहराने वाली भाजपा की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सांप्रदायिक आधार पर जातीय संघर्ष और क्रूर सामूहिक बलात्कार सहित बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इन सभी महीनों में प्रधानमंत्री की गहरी चुप्पी डबल इंजन शासन के पूर्ण दिवालियापन को दर्शाती है। लगातार जारी टकराव का अहम कारण होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपने ही मुख्यमंत्री को खुलेआम बचाया है।

मैतेई–कुकी जातीय संघर्ष के निकटवर्ती राज्यों, विशेषकर मिजोरम और मेघालय तक फैलने का खतरा है। पूरे उत्तर पूर्व में, विशेषकर असम में, ध्रुवीकरण के तेज होने से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण और भड़काने वाली हो गई है। म्यांमार के साथ सीमावर्ती राज्य होने और उस देश की स्थिति को देखते हुए, एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है।

जम्मू–कश्मीर और मणिपुर दोनों में हो रहे घटनाक्रम का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

विदेश नीति

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परित्यागः भाजपा सरकार ने अमेरिकी रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा डिजाइनों और वैश्विक प्रभुत्व के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के डिजाइनों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। सबसे बड़ा सबूत फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ नरसंहार युद्ध को रोकने के लिए बिना शर्त युद्धविराम की मांग करने से इनकार करने का मोदी सरकार का शर्मनाक रुख है। उसने अमेरिका समर्थित यहूदीवादी सरकार का पक्ष लिया है। इजराइल के साथ इसके रक्षा संबंध और इसका हथियारों का व्यापार फिलिस्तीनी लोगों द्वारा मातृभूमि के लिए संघर्ष को हमारे पारंपरिक समर्थन के लिए एक काला रिकॉर्ड है। अमेरिकी साम्राज्यवाद हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक मंसूबों में भारत को एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में स्थापित करना जारी रखे हुए है। भारत रणनीतिक सैन्य सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला एक रणनीतिक रक्षा भागीदार बन गया है। क्वैड (QUAD)को भारत–प्रशांत क्षेत्र में एक सक्रिय रणनीतिक और सैन्य गठबंधन में बदल दिया गया है। अमेरिका–इजराइल–भारत धुरी मजबूत हो रही है।

भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी पारंपरिक नेतृत्वकारी भूमिका को त्याग दिया है। जब से मोदी पीएम बने हैं उन्होंने एक भी गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पहली बार भारतीय पीएम फिलिस्तीन का दौरा किए बिना इजराइल की राजकीय यात्रा पर गए।

इन घटनाक्रमों के हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों और भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं।

सीपीआइ (एम) एक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की पक्षधर है जो हमारे अपने देश के हितों की सर्वोत्तम सेवा करती है। वह हमारे देश की सुरक्षा के हर पहलू की रक्षा करते हुए हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों का पक्षधर है।

भारतीय संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करें और जन कल्याण में सुधार करें

इस पृष्ठभूमि में यह जरूरी है कि प्रत्येक भारतीय देशभक्त को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा और मजबूती के लिए प्रयास करना चाहिए। जनता की गंभीर रूप से बिगड़ती जीवन स्थितियों को देखते हुए क्रोनी पूंजीवाद और

सांप्रदायिक–कॉर्पोरेट गठजोड़ की वर्तमान नीति दिशा को उलटना होगा।

इसके लिए वैकल्पिक जनपक्षीय नीतियों की आवश्यकता है जिसे लागू किया जाना चाहिए। हमारी संवैधानिक व्यवस्था और हमारे गणतंत्र के ध र्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक चरित्र पर हमले आरएसएस/भाजपा द्वारा सरकार और राज्य तंत्र पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके किए गए हैं।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र की रक्षा केवल यह सुनिश्चित करके ही की जा सकती है कि भाजपा को सरकार और राज्य सत्ता पर नियंत्रण से अलग किया जाए। इसी तरह, जन–समर्थक नीतियों का कोई भी वैकल्पिक सेट केवल तभी लागू किया जा सकता है जब भाजपा को सरकारी तंत्र पर नियंत्रण से हटा दिया जाए।

सीपीआइ (एम) जनता के सामने जो वैकल्पिक नीतियां रख रही है, उसका विवरण अगले भाग में दिया गया है।

इसलिए, संवैधानिक गणतंत्र की रक्षा करने, इसे और मजबूत करने और नीति की दिशा को एक मूलगामी जनोन्मुख बनाने के लिए, यह जरूरी है कि 18वीं लोकसभा के आगामी चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराया जाए।

सीपीआइ (एम) भारतीय मतदाताओं से अपील करती है:

1. बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराएं!

2. लोकसभा में सीपीआइ (एम) और वामपंथी दलों की ताकत बढ़ाएं!

3. सुनिश्चित करें कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने!

भाग – दो

वैकल्पिक नीतियां
मुख्य बिंदु

ऐसे वैकल्पिक नीतिगत मंच की मुख्य बातें, जिसे लागू करने का वादा सीपीआई (एम) करती है :

- संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा।
- किसानों को अपनी उपज उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अधिकार लागू करना, जो उत्पादन की कुल लागत से कम–से–कम 50 प्रतिशत अधिक हो।
- मजदूरों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह रुपये से कम नहीं, यह वेतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होगा।
- सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न– 5 किलोग्राम मुफ्त और 5 किलोग्राम रियायती दरों पर– उपलब्ध कराना।
- निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार; बीमा आधारित निजी स्वास्थ्य सेवा समाप्त करना, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत करना ।
- जनगणना और परिसीमन से जोड़े बिना संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का कानून तुरंत लागू करना; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए व्यापक कदम उठाना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को रद्द करना। गुणवत्ता उन्नयन के साथ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली – स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा – का व्यापक विस्तार करना। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का

6 प्रतिशत करना, शिक्षा प्रणाली का सांप्रदायिकरण समाप्त करना और इसके लोकतांत्रिक चरित्र को सुनिश्चित करना।

- संवैधानिक अधिकार के रूप में रोजगार का अधिकार देना, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करना।
- वृद्धावस्था पेंशन के रूप में सभी वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम 6,000 प्रति माह या न्यूनतम मजदूरी का कम–से–कम आधा, जो भी अधिक हो, प्रदान करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण रोकना और रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और बुनियादी सेवाओं का निजीकरण वापस लेना।
- एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण।
- अमीरों और कॉर्पोरेट मुनाफों पर कर बढ़ाना, अति–अमीरों पर संपत्ति कर की बहाली और विरासत कर लागू करना। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को बहाल करना।
- आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करके चुनावी प्रणाली में सुधार करना। चुनावी खर्चों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण।

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में

सीपीआई (एम) यह सुनिश्चित करेगी कि संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने वाली तानाशाही व्यवस्था को ख़त्म किया जाए।
इसके लिए आवश्यक है :

- उच्च न्यायपालिका, भारत के चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता/स्वायत्तता की रक्षा के उपाय करना।
- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को निरस्त करना।
- कानून द्वारा पीएमएलए को निरस्त करना ताकि उसका दुरुपयोग न हो तथा ईडी से उसकी कानून–प्रवर्तन शक्तियां वापस लेना।
- तीन आपराधिक संहिताओं की संपूर्ण समीक्षा करना और उसमें संशोधन करना ताकि उनमें से अलोकतांत्रिक प्रावधानों को खत्म किया जाए और पुलिस की शक्तियों को बढ़ाने पर रोक लगे, असहमति के अधिकार की

रक्षा करना।

- सभी कानूनी धाराओं से मृत्युदंड हटाना।
- सार्वजनिक योजनाओं के प्रभाव और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना। इसमें शासन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए और सरकार को उसके जनादेश के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आधार और बायोमेट्रिक्स के अनिवार्य उपयोग को खत्म करना।
- अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि करना।
- किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संसदीय अनुमोदन को अनिवार्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना।

धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में

सीपीआई (एम) धर्म और राजनीति को अलग करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी विधायी उपायों को पारित करने और लागू करने के पक्ष में है। सांप्रदायिक हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, वैज्ञानिक स्वभाव और तर्कसंगतता को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके लिए सीपीआई (एम) इस दिशा में काम करेगी :

- नागरिकता संशोधन अधिनियम को ख़त्म करना।
- उन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को निरस्त करना जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं।
- भाजपा सरकार द्वारा प्रमुख पदों पर नियुक्त आरएसएस के लोगों को हटाना।
- सभी अवैध निजी सेनाओं और निगरानी समूहों जैसे विभिन्न 'सेनाओं' पर तत्काल प्रतिबंध लगाना, जो गौरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं और सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने और अल्पसंख्यकों पर हमला करने में शामिल संगठनों और संस्थानों पर लगाम लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उचित कानूनी उपाय लागू करना, लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना।
- सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों को उनकी सार्वजनिक या आधिकारिक स्थिति की परवाह किए बिना अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करना।

- बिना किसी डर या भेदभाव के समानता और सम्मान का जीवन जीने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम से सांप्रदायिक सोच और पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्री को हटाना।

वैकल्पिक आर्थिक नीतियां

सीपीआई(एम) निम्न आर्थिक नीतियों के लिए काम करेगी :

- योजना आयोग को बहाल करना।
- पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में विकास को रोजगार सृजन के साथ एकीकृत करना और मांग को बढ़ावा देने के लिए लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना।
- अमीरों, कॉर्पोरेट मुनाफे और विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाकर संसाधन आधार बढ़ाना।
- कृषि उत्पादन, अनुसंधान और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।
- भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना– बिजली, सार्वजनिक परिवहन, बंदरगाह, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक अस्पतालों में सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित करना।
- आम जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन का पक्ष लेना, न कि अवहनीय विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन का।
- बीज, उर्वरक, बिजली/डीजल जैसे कृषि आदानों के लिए सार्वजनिक प्रावधान करना और सब्सिडी देना।
- अधिक रोजगार प्रदान करने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास और विशेष पहल के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को खत्म करना और केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को सामाजिक क्षेत्र में खर्च के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिए बाध्य करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी को और कम करने पर रोक लगाना और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए बैंकिंग और बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना।
- वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक प्राधिकरणों को अनिवार्य रूप से संसद और विधायी निरीक्षण के प्रति जवाबदेह बनाना।

- राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख आर्थिक निर्णयों में राज्य सरकारों को शामिल करना, राज्यों की निर्णय लेने की शक्तियों को बहाल करना और राज्यों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए अधिक वित्तीय लचीलेपन की अनुमति देना।

संसाधन जुटाना

सीपीआई (एम) निम्न काम करेगी :

- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर को बहाल करके सट्टेबाजाराना पूंजीगत लाभ पर कर लगाना और प्रतिभूति लेन–देन पर कर बढ़ाना।
- कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भागे हुए सभी ऋण बकाएदारों को कानून के दायरे में लाया जाना सुनिश्चित करना और लूटा गया पैसा ब्याज सहित वसूलना।
- अति–अमीरों के लिए संपत्ति कर बहाल करना और विरासत कर लागू करना।
- वैधानिक दरों में वृद्धि करके कॉर्पोरेट लाभ पर कर बढ़ाना, ताकि प्रभावी कर दरें कम न हों, जिससे राजस्व की भारी हानि न हो।
- भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों वाली विदेशी कंपनी में शेयरों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ पर कराधान।
- हमारे देश के संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए और राज्यों के साथ संसाधनों को साझा करके उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए जीएसटी में आमूल–चूल परिवर्तन करना।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन

सीपीआई (एम) निम्न बातों के पक्ष में है :

- राज्य और लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक संप्रभु वित्तीय विनियमन नीति। राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए नीतियां विकसित करना।
- द्विपक्षीय स्वैप लाइन (बीएसएल) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से गैर–डॉलर व्यापार समझौतों का विस्तार और स्थिरीकरण, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों के बीच वित्तीय एकजुटता और समन्वय को मजबूत करना।
- क्रिप्टोकरेंसी पर मजबूत और सर्वसमावेशी नियमन और दिशानिर्देश।
- पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बदलाव को उलटना और वित्तीय

पूंजी के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह पर प्रतिबंध बहाल करना।

- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को पार्टिसिपेटरी नोट्स का उपयोग करने से रोकना और सट्टाबाजाराना वित्तीय साधनों को हतोत्साहित करना, ताकि अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय बाजार की अस्थिरता के खतरे को कम किया जा सके।
- आरबीआई के भंडार और स्वायत्तता की सुरक्षा करना; आरबीआई के प्रशासन और नियामक तंत्र को मजबूत करना।
- नए निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2012 की समीक्षा करना और विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों का अधिग्रहण करने से रोकना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को मजबूत बनाना और इनके निजीकरण पर रोक लगाना। पीएसबी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए बैंकिंग अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को पलटना। प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत निजी बैंकों को शामिल करना। बैंकों के जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी पूंजी नियमन को लागू करना।
- बड़े उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर बढ़ाना और छोटे ऋणों के लिए ब्याज दर कम करना। बचत खातों और खुदरा डिपाज़िटों के लिए ब्याज दर में वृद्धि, सामान्य खुदरा ग्राहकों और वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए सेवा शुल्क में छूट।
- बेनामी संपत्तियों सहित कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संपत्ति जब्त करके सभी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली करना। जानबूझकर चूक करने वालों को दंडित करने और उनसे वसूली करने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन करना। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को वापस लेना।
- डेटा संप्रभुता को बनाए रखते हुए फिन–टेक क्षेत्र में अमेजॅन, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व को विनियमित करना।
- छोटे उधारकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए निजी माइक्रो–फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) पर सख्त विनियमन लागू करना। निजी एमएफआई के लिए पीएसबी फंडिंग रोकना। वाणिज्यिक संस्थानों को बैंकों से अलग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम 2015 को खत्म करना।
- सहकारिता को राज्य के विषय के रूप में बहाल करना। बैंकिंग

विनियमन–1949 संशोधन अधिनियम, 2020 को निरस्त करना। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आरबीआई की देखरेख में जमा एकत्र करने की अनुमति देना। आम जनता को सूदखोर ऋण के चंगुल से बचाने के लिए सहकारी बैंकों को मजबूत करना और सहकारी बैंकों को आयकर से छूट देना।

- विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) को वाणिज्यिक बैंकों से अलग करना। बैंकिंग क्षेत्र सामान्य व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- एलआईसी से सरकारी शेयरों में और कटौती नहीं होगी। जीवन, चिकित्सा और सामान्य बीमा पर से जीएसटी हटाना। बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को समेकित करना।
- स्वर्ग कराधान (टैक्स हैवन्स) में पूंजी के अवैध प्रवाह पर रोक लगाना। उचित कराधान सुनिश्चित करने के लिए दोहरे कर बचाव समझौतों में खामियों को दूर करना।
- जमा राशि की सुरक्षा, पोंजी स्कीम मालिकों की संपत्तियों को जब्त करने और प्रभावित जमाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए चिट फंड कानून को मजबूत करना।
- वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रतिबंधित करना।

व्यापार मुद्दे

सीपीआई (एम) इसके पक्ष में है :

- भारतीय हितों की रक्षा करना और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने और व्यापार युद्ध छेड़ने के अमेरिकी कदमों के विरुद्ध खड़ा होना।
- मात्रात्मक प्रतिबंधों सहित छोटे और सीमांत किसानों की सुरक्षा के उपायों को बहाल करना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को गैट्स (जीएटीएस) के दायरे से बाहर रखना। ट्रिप्स समझौते की समीक्षा के लिए दबाव डालना।
- मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा करना। मौजूदा शर्तों पर यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के लिए वार्ताओं को आगे नहीं बढ़ाना।

संघवाद को मजबूत करना

केंद्र–राज्य संबंधों के संपूर्ण पुनर्गठन के लिए, सीपीआई (एम) निम्न बातों के पक्ष में है :

- अनुच्छेद 356 के स्थान पर उपयुक्त प्रावधान लाना और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 में संशोधन करना।
- राज्यपालों की वर्तमान भूमिका और स्थिति की समीक्षा करना। राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- केंद्रीय करों के संग्रहण के कुल पूल का 50 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करना; राज्यों के साथ अधिभार और उपकर साझा करना।
- केंद्र सरकार के गैर–कर राजस्व को विभाज्य पूल का हिस्सा बनाना और इसके लिए एक उपयुक्त संवैधानिक संशोधन पेश करना।
- एफआरबीएम अधिनियम को पारित करने जैसी राज्यों पर लगाई गई शर्तों को वापस लेना; राज्यों को वित्त आयोगों की संरचना और संदर्भ–शर्तों में अपनी राय रखने का अधिकार देना।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को निधि के साथ राज्यों को स्थानांतरित करना।
- अंतर–राज्य परिषद के निर्णयों को केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना; राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) को संवैधानिक दर्जा देना; योजना आयोग को बहाल करना, जो एनडीसी की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगी।
- स्थानीय स्वशासी निकायों के स्तर पर व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करना; स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धनराशि राज्य सरकारों के माध्यम से भेजना।

आधारभूत संरचना

सीपीआई (एम) इसके पक्ष में है :

- जन–उन्मुख बुनियादी ढांचागत योजना और विकास, न कि निजी निगमों के लिए।
- भारतीय ढांचागत क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के बढ़ते नियंत्रण का विरोध करना।
- राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को वापस लेना, जो मुख्य अधोसंरचनात्मक गतिविधियों में दीर्घकालिक राजस्व संग्रह में निजी खिलाड़ियों

को सुविधा प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को वापस लेना। एनएमपी के विभिन्न मार्गों से निजी निगमों को ब्राउनफील्ड ढांचागत संपत्तियों के दीर्घकालिक उपहार को रोकना और इसे उलटना। विनिवेश, पीपीपी और अन्य विभिन्न मार्गों के माध्यम से निजीकरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को कमजोर करने को निरस्त करना।
- राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएलएमपी) को निरस्त करना और इसे उलटना। निजी निगमों के हाथों में बेशकीमती किराया संग्रहण क्षमता वाले विशाल, सन्निहित भूमि पार्सल के संचय को रोकना।
- केवल सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (बिजली, संचार, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आदि) के निर्माण, संचालन, रखरखाव और राजस्व वसूली को बढ़ावा देना।
- निजी खिलाड़ियों को आबंटित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को उलटना। सार्वजनिक राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों, गैस या बिजली लाइनों आदि से निजी ओ एंड एम एजेंसियों द्वारा राजस्व वसूली (टोल, टिकट या अन्य शुल्क) को समाप्त करना, जो लोगों पर गंभीर बोझ डालता है। इन कार्यों में सार्वजनिक उद्यमों को सुदृढ़ करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा भंडारण और भविष्य के अन्य सभी ऊर्जा संसाधनों में निजी एकाधिकार को बढ़ावा देने और स्थापित करने वाली नीतियों को उलटना। हमारे देश की ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा के लिए नवीकरणीय क्षेत्र में सरकार की निर्णायक हिस्सेदारी स्थापित करना। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों (विशेष रूप से कोयला श्रमिकों) की आजीविका और आर्थिक दायरे की रक्षा के लिए एक मजबूत भागीदारी तंत्र तैयार करना।
- रियायती दरों पर सस्ती बिजली सुनिश्चित करना। विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को निरस्त करना। निजी निगमों द्वारा टोटेक्स मॉडल में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को रोकना, सार्वजनिक बिजली क्षेत्र का निजीकरण वापस लेना। सभी असंबद्ध बिजली उपयोगिताओं का पुनः एकीकरण। बिजली क्षेत्र में मौजूदा निजी लाइसेंस रद्द करना। आभासी निजी बिजली बाजार का उन्मूलन और गतिशील मूल्य निर्धारण।
- बंदरगाहों से बिजली बनाने वाले समूह, डेटा भंडारण और हैंडलिंग सहित

आवश्यक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी एकाधिकार को प्रतिबंधित करना। भारतीय नागरिकों के संप्रभु डेटा को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक मजबूत डेटा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और निजी निगमों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के मुफ्त उपयोग को सीमित करने की नीतियों को लागू करना।

- दूरसंचार विधेयक, 2023 को निरस्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और इंटरनेट की पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए निजीकरण–उन्मुख दूरसंचार नीतियों को उलटना। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों– बीएसएनएल और एमटीएनएल– को समान अवसर देकर मजबूत करना और 4जी और 5जी सेवाओं के तेजी से क्रियान्वयन की गारंटी देना। इंटरनेट का अधिकार सुनिश्चित करना। संचार उपकरण विनिर्माण में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता विकसित करना।
- रेल सुरक्षा, गति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेल के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश। रेलवे स्टेशनों, समर्पित माल गलियारों और माल एवं यात्री ट्रेनों के निजीकरण को उलटना। स्वदेशी प्रौद्योगिकी और रेलवे रेक और उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना; वहनीयता और सेवा उन्नयन का आश्वासन देना।
- निजी स्वामित्व वाले बंदरगाह मॉडल को वापस लेना। कार्गो हैंडलिंग के लिए नई स्टीवडोरिंग नीति को रद्द करना। पीपीपी मॉडल के तहत प्रमुख बंदरगाह अस्पतालों की आउटसोर्सिंग को रद्द करना। प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना।
- अनाज, फलों और सब्जियों जैसे प्राथमिक खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य फसलों की खरीद की सुविधा के लिए भंडारण निगम के बुनियादी ढांचे का विकास करना। भंडारण निगम के बुनियादी ढांचे को निजी इजारेदार कंपनियों को किराये पर देना बंद करना।

उद्योग

सीपीआई (एम) इसके पक्ष में है :

- विभिन्न प्रशासनिक आदेशों और दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी सार्वजनिक उपक्रमों को नष्ट करने और नष्ट करने के उद्देश्य से लागू विनाशकारी नीतियों को उलटना; दीपम (डीआईपीएएम) द्वारा शुरू किए गए पीएसयू

निजीकरण के सभी प्रयासों को समाप्त करना।

- लेवी के भारी बोझ को वापस लेकर, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए लाभ के कुशल पुनर्निवेश की अनुमति देकर, समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके, कमजोर सार्वजनिक उपक्रमों को नई पूंजी और अद्यतन तकनीक के साथ समर्थन देना सुनिश्चित करके, प्रत्येक आयात–दायित्व में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करके, सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर अधिक स्वायत्तता, दक्षता और अंतर–उद्यम समन्वय को बढ़ावा देकर– सार्वजनिक क्षेत्र को, विशेष रूप से मुख्य और रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना।
- उच्च रोजगार–निवेश अनुपात सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दीर्घकालिक औद्योगिक नीति लागू करना, निवेश रणनीतियों और एमओयू शर्तों को फिर से तैयार करना य शुद्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए दोनों की पूरक भूमिकाओं को बढ़ावा देकर सेवा और विनिर्माण के बीच अंतर को पाटना।
- सख्त निर्यात–आयात–निवेश नीति के माध्यम से क्रियान्वित वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के हमारे घरेलू खंडों में बढ़े हुए मूल्यवर्धन और विनियोग को सुनिश्चित करना; बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टीएनसी की मूल्य श्रृंखला में सख्त श्रम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- इक्विटी निवेश और क्रॉस–स्वामित्व पर सीमा लगाकर गैर–वित्तीय फर्मों पर वित्तीय फर्मों के बढ़ते नियंत्रण को प्रतिबंधित करना। गैर–वित्तीय कंपनियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएसबी से सक्रिय ऋण नीतियां लागू करना; अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी क्षमता में वृद्धि को बढ़ावा देना। एकाधिकार गठन और गुटबंदी (कार्टेलीकरण) पर सतर्क प्रतिबंध लगाना।
- जूट मिलों, बागानों, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और नारियल–जटा जैसे श्रम प्रधान पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार। घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बचाने के लिए सख्त नीतियों का निर्माण। भारतीय उत्पादों का घरेलू और विदेशी बाजारों के लिए प्रचार और विकास।
- श्रम प्रधान क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को बुनियादी ढांचे के समर्थन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पर्याप्त ऋण के साथ प्रोत्साहित करना। क्लस्टर विकास परियोजनाओं (सीडीपी) के लिए वित्तीय आबंटन बढ़ाना। एमएसएमई क्षेत्र में निजी माइक्रोफाइनेंस के प्रवेश पर

सख्त प्रतिबंध और संकटग्रस्त निम्न–आय समूहों के ऋण माफ करना।

- स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों आदि जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने के माध्यम से उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल रणनीति बनाना। विशेषकर घरेलू और पारंपरिक उद्योगों से जुड़ी इन इकाइयों के लिए रियायती ऋण बढ़ाना। सहकारी समितियों और संघों के विकास का समर्थन करना।
- खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर रोक। लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से ई–कॉमर्स और स्थानीय कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेताओं को विनियमित करना। और छोटे उत्पादकों और निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अपना ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना।
- अमेजॅन, उबर, जोमैटो आदि जैसे वैश्विक निगमों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं की शुरूआत करना। विस्तारित डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्वदेशी स्टार्ट–अप और सहकारी समितियों के लिए व्यवस्थित सरकारी समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना टियर–II और टियर–III शहरों में अधिक आईटी नौकरियां और तकनीकी विकास लाने के लिए सक्रिय पहल। आईटी हार्डवेयर और घटक उत्पादन को बढ़ावा देना। सभी विभागों और उनकी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली आईटी कंपनियों की शुरूआत करना। जनता के लिए उनके लाभों को लोकतांत्रिक बनाने के लक्ष्य के साथ एल्गोरिदम, एआई/एमएल और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए नियम विकसित करना।
- कर लाभों को समाप्त करने और अंधाधुंध भूमि उपयोग को सीमित करने के लिए एसईजेड अधिनियम और नियमों में उत्तरोत्तर संशोधन करना। सभी एसईजेड में श्रम कानूनों का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- आईबीसी पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करना। पीएलआई योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक धन की हेराफेरी के उपायों का विरोध करना। बड़े निजी निगमों को बिना शर्त ऋण माफी के खिलाफ सख्त कदम उठाना।
- भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए पृथ्वी में मिलने वाली आवश्यक दुर्लभ सामग्री, लिथियम इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एकाधिकार

वाले वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के लिए बनाए गए एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन को रद्द करना। कच्चे तेल की खोज सहित खनिज क्षेत्र को प्रोत्साहन देना; उदारीकरण और निजीकरण को रोकना।

- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को खत्म करने के कदम को वापस लेना और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण इकाइयों को मजबूत करना। रक्षा उत्पादन उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश को उलटना। एफडीआई प्रवाह रोकना।
- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की क्षमता में वृद्धि और एक समावेशी कोयला लॉजिस्टिक योजना के लिए एक समग्र नीति विकसित करना। निजी क्षेत्र को आबंटित सभी कोयला ब्लॉक सीआईएल को सौंपना। आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और निजी कंपनियों द्वारा फर्जी कोयला आयात की न्यायिक जांच करना।

कृषि का पुनरुद्धार

कृषि संकट को दूर करने, कृषि विकास को पुनर्जीवित करने और किसानों के लिए बढ़ी हुई आय सुनिश्चित करने के लिए, सीपीआई (एम) निम्नलिखित ठोस कदम प्रस्तावित करती है :

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना, जो उत्पादन की सकल लागत का कम से कम डेढ़ गुना (सी–2़50 प्रतिशत) होगा।
- एमएसपी के कवरेज और क्रियान्वयन का विस्तार करना। उन फसलों की संख्या बढ़ाना, जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। सभी राज्यों में प्रभावी खरीद सुनिश्चित करना। तीन साल के भीतर भारत में एपीएमसी मंडियों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करना।
- कॉर्पोरेट लॉबी को सख्ती से विनियमित करके और सरकारी सब्सिडी बढ़ाकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, पानी और बिजली जैसे कृषि इनपुट की लागत में भारी कमी करना।
- तीन वर्षों में कृषि में सार्वजनिक निवेश दुगुना करना और सिंचाई और ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देना। सभी जल संसाधनों के संबंध में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि के लिए संस्थागत ऋण की सस्ती, समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थागत ऋण को

कृषि में कॉर्पोरेट हितों की ओर न मोड़ा जाए, दिशा–निर्देशों में सुधार करना; यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण का एक बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किया जाए, एक नया लक्ष्य निर्धारित करना।

- भारत में सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करना। क्रेडिट सहकारी समितियों का नियमित चुनावों के साथ लोकतांत्रिक ढंग से चलना सुनिश्चित करना।
- उर्वरकों में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था को समाप्त करना। किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि के लिए सब्सिडी बढ़ाना और उर्वरक मूल्य पर नियंत्रण बहाल करना।
- कृषि में बड़े व्यवसायों का पक्ष लेने वाली बौद्धिक संपदा व्यवस्था में विपरीत परिवर्तन करना। बीज की कीमतों, रॉयल्टी, किसानों के बीज बचाने के अधिकार और जैव विविधता की सुरक्षा के साथ–साथ निजी कृषि अनुसंधान का सख्त विनियमन सुनिश्चित करना।
- भारत–आसियान एफटीए, भारत–ईयू एफटीए जैसे असमान और शोषणकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को निरस्त करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यापार वार्तायें भारत की आर्थिक संप्रभुता और सहकारी संघवाद की रक्षा करें।

भूमि संबंधी मुद्दे

सीपीआई (एम) निम्न बातों के पक्ष में है :

- कॉरपोरेट्स और बड़े कृषि–व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के इरादे से कमजोर किए गए भूमि हदबंदी कानूनों को पलटना।
- भूमि सुधारों को लागू करने के लिए त्वरित और समावेशी कदमों को सुनिश्चित करना। राज्य सरकारों को सीलिंग से ऊपर अधिशेष भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करना और कब्जे में ली गई सभी अधिशेष भूमि को तुरंत वितरित करना। भूमि वितरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करना। संयुक्त पट्टों का प्रावधान करना, जो महिलाओं के भूमि स्वामित्व में समान अधिकार की रक्षा करता है। कानूनी मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए नए भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करना और इसके लिए राज्य

सरकारों को बढ़ी हुई धनराशि प्रदान करना।

- सभी किरायेदारी (बंटाईदारों) का पंजीयन सुनिश्चित करना। सभी राज्यों में किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना। सभी किरायेदारों को कृषक लाइसेंस कार्ड देकर सब्सिडी, बीमा और आय सहायता सहित सभी लाभ सुनिश्चित करना।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में संशोधन करना, ताकि उन सभी कानूनों पर, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है, इसके सार्वभौमिक अनुप्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके। सार्वजनिक उद्देश्य की कठोर परिभाषा, सभी प्रभावित व्यक्तियों से पूर्ण और पूर्व सूचित सहमति, बाध्यकारी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और मुआवजा और पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरह से हो कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता और बढ़े हुए भूमि मूल्य में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके।
- चरागाहों, सामुदायिक वनों, झाड़ियों आदि जैसी सामान्य भूमियों के अतिक्रमण और अधिग्रहण को रोकना।
- सार्वजनिक ट्रस्ट में रखी गई सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि को पट्टे, बिक्री, डायवर्सन या किसी अन्य तरीके से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से सुरक्षित रखना।
- एससी और एसटी को प्राथमिकता देते हुए भूमिहीन और गरीब किसान परिवारों को खेती योग्य बंजर भूमि मुफ्त में सौंपना। भूमि पर महिलाओं को समान अधिकार के साथ संयुक्त पट्टे वितरित करना।
- ग्रामीण और शहरी भूमिहीनों के सभी तबकों को आवास स्थल और वासभूमि उपलब्ध कराना।
- किरायेदारी का रिकॉर्ड रखना और उन सभी राज्यों में किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना, जहां ऐसा नहीं किया गया है।

खाद्य सुरक्षा

भूख मुक्त भारत की दिशा में काम करने के लिए, सीपीआई (एम) निम्न कदमों पर अमल करेगी :

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान लक्षित प्रणाली को खत्म करना और आयकर दाताओं को छोड़कर, ऐसे सुधारों के साथ और मजबूत सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना करना, जिसका

आधार से कोई लिंकेज न हो।

- प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान– 5 किलोग्राम निःशुल्क और 5 किलोग्राम रियायती दरों पर।
- इस क्षेत्र में राज्य सरकारों की पहल का समर्थन करना।
- खाद्यान्न के साथ–साथ, पीडीएस के जरिये नियंत्रित कीमतों पर दाल, खाद्य तेल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना।
- आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजनाओं के लिए अधिक आबंटन देना, ताकि इसके माध्यम गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन देना सुनिश्चित किया जा सके और इसे कानूनी अधिकार के रूप में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाना।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर गर्भवती महिलाओं को बिना किसी शर्त के 6000 रुपये भत्ता देना।
- आबादी के कमजोर तबकों, जैसे प्रवासी मजदूरों, निराश्रितों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त रसोई जैसे विशेष उपाय करना।
- दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में राशन प्रणाली को इस प्रकार मजबूत करना कि आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- बिना आधार लिंकेज के सब्सिडी वाली दर पर प्रति वर्ष बारह एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना।
- खाद्यान्न के बदले कोई नकद हस्तांतरण नहीं।

मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना

सीपीआई (एम) आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करती है। इसमें शामिल हैं :

- पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की अविनियमित व्यवस्था को उलटना और एक प्रशासित मूल्य नियंत्रण तंत्र की स्थापना करना।
- पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को कम करना।
- प्राकृतिक गैस की कीमतों और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमत को नियंत्रित करना।
- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना।

- आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करना।
- गोदामों और गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों के निजी स्टॉक को उजागर करने के मानदंडों को मजबूत करना।
- पीडीएस को मजबूत करना और बाजार की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक उपाय के रूप में बफर स्टॉक का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना।
- जब कीमतें ज्यादा हों और बढ़ रही हों, तो खाद्यान्नों के निर्यात को नियंत्रित करना।
- आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना।

विदेश नीति

सीपीआई (एम) निम्न कदमों के पक्ष में है :

- एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति; विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और बहुध्रुवीयता को मजबूत करना।
- अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन से बाहर निकलना और संप्रभु देशों में हस्तक्षेप, प्रतिबंध और शासन परिवर्तन की उसकी नीतियों का विरोध करना।
- अमेरिका के साथ उन सभी मूलभूत समझौतों से अलग होना, जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता से खिलवाड़ करते हैं और हमारे हितों के लिए हानिकारक हैं।
- इजराइल के साथ सभी सुरक्षा और सैन्य संबंधों को खत्म करना और संयुक्त राष्ट्र से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना।
- 1967 से पहले की सीमाओं की बहाली के साथ और पूर्वी यरूशलेम के राजधानी के रूप में स्वीकार करने के साथ फिलिस्तीन राज्य की स्थापना।
- हमारे सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करना और साझा संसाधनों से संबंधित मुद्दों का पारस्परिक रूप से लाभप्रद तरीकों से तत्काल समाधान करना।
- चीन के साथ सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना और चौतरफा संबंधों को बढ़ावा देना।
- सीमा पार आतंकवाद सहित सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए और दोनों देशों के जनगण के बीच सांस्कृतिक और खेल आयोजनों को बढ़ावा

देने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना।

- देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में शक्तियों के हस्तांतरण के लिए श्रीलंकाई सरकार के साथ जुड़ाव, जहां तमिल भाषी लोगों को एक संयुक्त देश के भीतर स्वायत्तता मिलेगी।

सुरक्षा मामले

सीपीआई (एम) इसके लिए काम करती है :

- भारत–अमेरिका रक्षा ढांचा समझौता, क्वाड और आइ2यू2 जैसे गठबंधनों से भारत बाहर निकलें।
- हमारे क्षेत्र से सभी सैन्य ठिकानों को हटाना, विशेष रूप से हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी बेस को हटाना, जहां परमाणु हथियार तैनात हैं।
- परमाणु हथियारों, रासायनिक और जैविक हथियारों सहित सामूहिक विनाश के अन्य सभी हथियारों का पूर्ण उन्मूलन।
- दुनिया में कहीं भी सशस्त्र हस्तक्षेप/लड़ाई में शामिल देशों द्वारा ईंधन भरने और तैनात करने के उद्देश्यों के लिए भारतीय नौसेना, वायु और सैन्य सुविधाओं तक पहुंच से इंकार करना।
- एक ऐसी नीति के पक्ष में, जो अंतरिक्ष और ध्रुवीय क्षेत्रों के सैन्यीकरण की अनुमति न दे।
- कूटनीति, संवाद और चर्चा के माध्यम से संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
- साइबर–स्पेस का विसैन्यीकरण। साइबर हमलों और फिशिंग से सुरक्षा। सभी व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा और व्यक्तियों की जासूसी और निगरानी की रोकथाम।
- सुरक्षा तंत्र पर संसदीय निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच एक प्रभावी समन्वय तंत्र का निर्माण करके और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करके मानव जीवन और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों का विस्तार, विकास और सुदृढ़ीकरण, जिनकी हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका है।
- भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रक्षा सौदों में पारदर्शिता और जवाबदेही।

भ्रष्टाचार के मामलों, विशेष रूप से हमारे देश की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच, सुनवाई और सजा पर तेज नजर रखना।

जम्मू एवं कश्मीर

सीपीआई (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है :

- संविधान के अनुच्छेद 35–ए और अनुच्छेद–370 की बहाली। लद्दाख को क्षेत्रीय स्वायत्तता देना। राज्य विधानसभा के लिए तुरंत चुनाव कराना।
- सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के माध्यम से तत्काल राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना।
- समाज के सभी तबकों से बात करके और उनकी वास्तविक शिकायतों पर कार्रवाई करके कश्मीर में विश्वास बहाली के उपाय शुरू करना।
- विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, अफ्स्पा (एएफएसपीए) को हटाना।

उत्तर–पूर्व

सीपीआई (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है :

- राजनीतिक समझौते के जरिए मणिपुर में संघर्ष खत्म करना। इसके लिए मुख्यमंत्री को हटाना होगा। ऐसे समाधान के लिए उन सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत होनी चाहिए, जो सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों का आश्वासन दे।
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के अनुसार असम में एनआरसी प्रक्रिया को तत्काल पूरा करना। किसी भी भारतीय को इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं, उन्हें शीघ्रता से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें शामिल लोगों को तुरंत पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। ब्लॉक किए गए आधार कार्डों को दोबारा वैध किया जाना चाहिए।
- उत्तर–पूर्व को विकास के लिए प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करना। भौतिक बुनियादी अधोसंरचना का और युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाओं का विकास करना। भारत–बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेजी से पूरा करना।
- छठी अनुसूची के तहत प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों की सुरक्षा और

विस्तार। विभिन्न जातीय समूहों और राष्ट्रीयताओं की पहचान की सुरक्षा।

कामकाजी लोगों के अधिकारों की रक्षा में मजदूर वर्ग

सीपीआई (एम) निम्न कदमों के पक्ष में है :

- मजदूरों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, जो 26000 रुपये प्रति माह से कम न हो। न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना। एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम न करने के प्रावधान का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। संविधान के अनुच्छेद–43 के अनुसार जीवनयापन योग्य मजदूरी का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपाय करना।
- वहनीयता की किसी भी शर्त पर जोर दिए बिना, सभी केंद्रीय पीएसयू मजदूरों के लिए सावधिक वेतन समीक्षा।
- केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन और जनवरी 2020 से जून 2021 तक अवैतनिक महंगाई भत्ता/महंगाई राहत बकाया का भुगतान।
- केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता आदि) में कार्यरत सभी मजदूरों को मजदूर/कर्मचारी के रूप में मान्यता देना और उन्हें वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ सहित सभी सहायक लाभ प्रदान करना और उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करना।
- चार श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रम कानूनों में किए गए सभी मजदूर–विरोधी और नियोक्ता–समर्थक संशोधनों को ख़त्म करना।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों पर कानून सहित सभी श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को मजबूत करना; प्रभावित श्रमिकों को छंटनी/बंद करने के मुआवजे का भुगतान और औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रावधानों का क्रियान्वयन। श्रम विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना। सभी जिलों और औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय खोलना।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून में सुधार करना और श्रम पर स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना। प्रवासी मजदूरों और बागान श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा उपाय करना। असंगठित

मजदूरों के लिए राष्ट्रीय कोष का गठन करना। वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य, मातृत्व और बाल देखभाल लाभ, दुर्घटना और जीवन बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ सभी असंगठित मजदूरों के सार्वभौमिक कवरेज के लिए कानून बनाना।

- गिग/प्लेटफॉर्म–आधारित/ऐप–संचालित मजदूरों और घर से काम करने वालों की कार्य स्थितियों को ठोस रूप से परिभाषित करने के लिए कानून बनाना। उचित अधिनियमन के माध्यम से, छूट के किसी भी प्रावधान को रोकते हुए, सभी श्रम कानूनों के तहत आईटी और आईटीईएस मजदूरों का कवरेज सुनिश्चित करना।
- नई पेंशन योजना और पीएफआरडीए अधिनियम को खत्म करना और सभी मजदूरोंध्कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और सरकार द्वारा पर्याप्त धन के साथ एक लाभ–परिभाषित पेंशन योजना लागू करना, जिसमें महंगाई सूचकांक से जुडाव के साथ अंतिम आहरित वेतन का कम–से–कम 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित हो।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को वापस लेना।
- गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की मान्यता और उसके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सभी प्रतिष्ठानों में यूनियन की मान्यता को कानून द्वारा अनिवार्य बनाना। आईएलओ कन्वेंशन संख्या 87 और 98 (एसईजेड में मजदूरों के अधिकारों से संबंधित) और संख्या 189 (घरेलू श्रमिकों पर) का अनुसमर्थन करना। प्रतिवर्ष बिना किसी विफलता के भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करना।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए एक प्रभावी योजना बनाना। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूत करना। श्रम से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ट्रेड यूनियनों से चर्चा के बिना कोई निर्णय न लेना, मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित, सार्थक सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना।
- काम में ठेकेदारी और अस्थायीकरण को हतोत्साहित करना। अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का कड़ाई से क्रियान्वयन करना। नियमित मजदूरों के समान ठेका मजदूरों के लिए भी समान काम करने के लिए समान वेतन और लाभ। स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकेदारीकरण बंद करना। निश्चित अवधि के रोजगार को रद्द करना। असंगठित क्षेत्र के ठेका मजदूरों और मजदूरों के

यूनियन बनाने और हड़ताल करने के मौलिक अधिकार का उपयोग करने के अधिकार की रक्षा करना।

- घर–आधारित कार्य सहित कार्य के सभी क्षेत्रों में महिला मजदूरों के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, जिसमें मातृत्व लाभ, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। सभी महिला मजदूरों के लिए 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ और क्रेच सुविधाएं और बुजुर्गों की देखभाल करना।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन। रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
- मजदूरों के कल्याण के लिए गठित सभी कल्याण बोर्डों में मजदूरों की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी।

मछली मजदूर

- मछली श्रमिकों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड की स्थापना करना और उन्हें पहचान पत्र देना और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना।
- विदेशी ट्रॉलरों और बड़े ट्रॉलरों द्वारा मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित उन नीतियों को खत्म करना, जो हमारे क्षेत्रीय जल और ईईजेड में बड़े कॉर्पोरेटों को मछली पकड़ने की अनुमति देती हैं, जबकि घरेलू छोटे मछुआरों की पहुंच को प्रतिबंधित करती हैं।
- सीआरजेड अधिसूचना 2018 को वापस लेना, जो मछुआरों को तटों पर उनके अधिकार से वंचित करता है।
- ब्लू–इकोनॉमी नीति को ख़त्म करना, जो निजी और विदेशी कॉर्पोरेटों को हमारे महासागर–तल से समृद्ध खनिज संसाधनों को निकालने की अनुमति देती है।

किसान

- संस्थागत और साहूकारों के निजी ऋण – दोनों का समावेशन करते हुए ग्रामीण भारत के सभी छोटे, मध्यम और संकटग्रस्त किसानों और खेत मजदूरों की ऋण से मुक्ति सुनिश्चित करना।
- राज्य–विशिष्ट लचीलेपन की अनुमति के साथ सभी किसानों के लिए एक सार्वभौमिक, व्यापक फसल बीमा योजना लागू करना। यह सुनिश्चित

करना कि उपज जोखिम और मूल्य जोखिम दोनों को बीमा योजना कवर करें। हर गांव में मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना। फसल बीमा कवरेज में सार्वजनिक बीमा कंपनियों की भूमिका का विस्तार करना। किसानों को मूल्य जोखिमों से बचाने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करना।

- छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों और खेत मजदूरों के लिए पर्याप्त मासिक पेंशन की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना।
- कृषि उत्पादन, ऋण आपूर्ति, डेयरी फार्मिंग, जल उपयोग, इनपुट खरीद, फसल भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और मजबूत करना। सख्ती से यह सुनिश्चित करना कि बहु–राज्य सहकारी समितियों के बाहर सहकारी प्रणाली राज्य सरकारों के अधीन कार्य करे।
- कृषि उत्पादन में किसान उत्पादक कंपनियों के साथ–साथ महिला स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और अन्य महिला समूहों की स्थापना को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना कि ये सामूहिक संघ निजी कॉर्पोरेट विनियोग से हमलों से बचें।
- यह सुनिश्चित करना कि पशु आहार के उत्पादन, आपूर्ति और खुदरा बिक्री के लिए पर्याप्त सब्सिडी दी जाए; पशुपालकों को इनपुट कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचाना। एक व्यापक पशुधन बीमा योजना बनाना, जो सभी बीमारियों के साथ–साथ महामारी को भी कवर करे और उसे क्रियान्वित करना।
- छोटे और सीमांत किसानों को मनरेगा के दायरे में लाकर श्रम सब्सिडी का विस्तार करना।

खेत मजदूर

- केंद्रीय वित्त पोषण के साथ खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सौदेबाजी का अधिकार और पेंशन, दुर्घटना मुआवजा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून बनाना।
- मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की सीमा को हटाकर इसे 200 दिनों तक बढ़ाया जाना। यह सुनिश्चित करना कि मनरेगा के तहत भुगतान की जाने वाली मजदूरी किसी भी राज्य में प्रतिदिन 700 रुपये की न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं

कराए जाने पर बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

- सभी ग्रामीण मजदूरों और खेत मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन करना। पुरुष और महिला खेत मजदूरों को समान काम के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करना; गर्भवती खेत मजदूरों को विशेष भत्ते प्रदान करना। न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण तंत्र को नया रूप देना।
- सभी खेत मजदूरों को आवास, स्वच्छता सुविधाएं, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा और चोट लगने की स्थिति में परिवहन जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं देना।
- प्रवासी खेत मजदूरों की सुरक्षा के लिए एकल खिड़की प्रणाली और अखिल भारतीय पात्रता के साथ विकेन्द्रीकृत त्रिपक्षीय बोर्ड प्रदान करना।
- एलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के सभी मामलों में प्रभावित व्यक्तियों के रूप में भूमिहीन खेत मजदूरों के अधिकारों को मान्यता देना और पूर्ण मुआवजा प्राप्त करने के साथ–साथ पुनर्वास प्राप्त करने का पात्र मानना।
- दलित और आदिवासी खेत मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और विशेष रूप से दलित और आदिवासी बस्तियों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।
- सभी प्रकार के जाति, जातीय, धार्मिक और लिंग आधारित उत्पीड़न के खिलाफ दलित और आदिवासी खेत मजदूरो की सुरक्षा के लिए अलग कानून और अदालतों का प्रावधान करना।
- सभी कृषि कार्यस्थलों में सार्वजनिक समर्थन से बाल देखभाल और क्रेच सुविधाएं प्रदान करना।

समान अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए महिलाएं

सीपीआई (एम) इसके पक्ष में है :

- संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़े बिना तुरंत लागू करना।
- सभी महिलाओं के लिए वैवाहिक और विरासत में मिली संपत्ति में समान अधिकारों के लिए कानून बनाना। महिलाओं और बच्चों के भरण–पोषण से संबंधित कानूनों को मजबूत करना। सभी परित्यक्त महिलाओं के लिए

सुरक्षा और पर्याप्त रखरखाव और पुनर्वास सुनिश्चित करना।

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में भयावह वृद्धि के लिए जिम्मेदार लोगों को रोकने, अंकुश लगाने और दंडित करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला लागू करना, जिसमें शामिल हैं :
- वर्मा समिति की उन सिफारिशों को स्वीकार करना, जिन्हें वर्तमान संशोधित कानून से बाहर रखा गया है। लैंगिक समानता से संबंधित विषयों को शामिल करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव। सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के कदम। विकलांग महिलाओं के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खिलाफ जाति आधारित अपराधों के लिए सजा बढ़ाना। मामले को तोड़ने–मरोड़ने या देरी करने वाले पुलिस कर्मियों सहित किसी भी कर्मी पर जुर्माना। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना। वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाना। भारतीय दंड संहिता की मौजूदा धारा 498–ए को सुरक्षित रखना। पूरी तरह से वित्त पोषित पुनर्वास योजना के माध्यम से यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों की मदद करना – विशेष रूप से यौन हिंसा के शिकार बच्चों का। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन। पीसीपीएनडीटी अधिनियम (लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ) का सख्ती से क्रियान्वयन और निष्क्रिय निगरानी समितियों को सक्रिय करना।
- **निम्नलिखित नए कानून बनाना :** तथाकथित ईज्जत की रक्षा के नाम पर होने वाले अपराधों के खिलाफ एक स्टैंड–अलोन कानून। महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खिलाफ कानून। महिलाओं और बच्चों के भरण–पोषण के लिए कानून को मजबूत करना, जिसमें त्रिपुरा में पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार द्वारा परित्यक्त महिलाओं के लिए भत्ता प्रदान करने वाली योजना भी शामिल है। विधवाओं और महिला मुखिया वाले परिवारों सहित एकल महिलाओं के लिए विशेष योजनायें। स्वयं सहायता समूह और बैंकिंग संस्थानों के बीच संबंध सुनिश्चित करने और एससी/एसटी महिलाओं के एसएचजी के लिए विशेष रियायतों के साथ 4 प्रतिशत से अधिक की रियायती ब्याज दरों की गारंटी के लिए एक कानून। घरों में काम करने वाले मजदूरों और गृह–आधारित कामगारों के लिए सुरक्षात्मक कानून। महिला प्रधान परिवारों के लिए विशेष योजनायें।

- विभिन्न क्षेत्रों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए महिलाओं के बारे में सार्वजनिक टिप्पणियों और चर्चाओं में शालीनता के मानकों का पालन करने और महिलाओं को अपमानित करने वाली लैंगिक और स्त्री द्वेषपूर्ण भाषा के खिलाफ एक आचार संहिता बनाना।
- लैंगिक बजट में महिलाओं के लिए आबंटन को मौजूदा 30 प्रतिशत के दावे से बढ़ाकर कम–से–कम 40 प्रतिशत करना।

बच्चे

सीपीआई (एम) बच्चों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करती है और उनके लिए काम करेगी। यह इसके लिए प्रतिबद्ध है :

- 0–6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कवर करने के लिए आईसीडीएस का सार्वभौमिकरण। आईसीडीएस के निजीकरण की दिशा में किए गए सभी उपायों को पलटना। आंगनबाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में शिशुगृह सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अधिक आबंटन।
- 3–18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार करना। समावेशी शिक्षा से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों को लागू करना।
- आस–पड़ोस में पर्याप्त संख्या में बच्चों के अनुकूल खेल के मैदानों का प्रावधान करना।
- सभी प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और सभी कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त आबंटन के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक और गैर–खतरनाक काम के बीच अंतर को दूर करने के लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना।
- आधुनिक सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आबंटन सहित विशिष्ट उपायों के माध्यम से आदिवासी, दलित और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों और अन्य लोगों के बच्चों के बीच जारी अंतर को कम करने के लिए विशेष उपाय करना, किसी भी स्तर पर भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
- पूरक पोषण, टीकाकरण, स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य

जांच और त्वरित रेफरल सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं का पूर्ण कवरेज।

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन करना।
- सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए आश्रय और सामाजिक सेवाओं का प्रावधान करना। लापता बच्चों का पता लगाने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाना।
- किशोर न्याय प्रणाली और संस्थानों का संपूर्ण पुनर्निर्माण और उनमें सुधार सुनिश्चित करना, ताकि उन्हें जिम्मेदार नागरिकों के रूप में समाज में फिर से शामिल होने में मदद करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।

युवा

सीपीआई (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है :

- काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल करना।
- रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाना। केंद्र और राज्य सरकारों में सभी रिक्त पदों को समयबद्ध सीमा के भीतर भरना।
- युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार करना।
- युवाओं के लिए खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रायोजित खेल मिशनों की स्थापना करना।
- युवाओं की पसंद के क्षेत्रों में रास्ते खोलकर उनके सर्वांगीण शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- नशीली दवाओं के खतरे के प्रसार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

अनुसूचित जाति

सीपीआई (एम) जाति व्यवस्था और सभी प्रकार के जाति उत्पीड़न के उन्मूलन के पक्ष में खड़ी है।

- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय उप–योजना के लिए एक केंद्रीय कानून का अधिनियमन, जो केंद्र और राज्यों में उनकी संबंधित आबादी के बराबर योजना परिव्यय प्रदान करेगा।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सभी भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए प्रति परिवार 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि का वितरण।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून का अधिनियमन।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और पीओए संशोधन अधिनियम, 2015 का प्रवर्तन और क्रियान्वयन। संविधान की अनुसूची IX के तहत एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम को शामिल करने के लिए कदम उठाना।
- प्रत्येक जिले में एससी, एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 की धारा 14 के अनुसार अनिवार्यतः विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।
- शैक्षणिक संस्थानों और कार्य स्थलों में जाति, धार्मिक और लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए एक विशेष अधिनियम का अधिनियमन।
- सामान्य जनगणना के भाग के रूप में जाति–आधारित जनगणना का तत्काल संचालन।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्रों को छात्रावास और छात्रवृत्ति तक सार्वभौमिक पहुंच देना।
- एक विशेष समयबद्ध भर्ती अभियान के माध्यम से आरक्षित सीटों और पदों तथा पदोन्नति में सभी बैकलॉग को भरना।
- अब तक बाहर रखे गए सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करना।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा की रोकथाम के लिए कानून में खामियों को दूर करने और पर्याप्त आबंटन के साथ समयबद्ध पुनर्वास योजना में संशोधन।
- सफाई सेवाओं में संविदा मजदूरों का नियमितीकरण।
- आवास और नागरिक सुविधाओं में एससी/एसटी और अन्य समुदायों के बीच जारी अंतर को कम करने के लिए बजटीय आबंटन के साथ एक विशेष अभियान चलाना।
- दलित ईसाई और मुस्लिम समुदायों को आरक्षण प्रदान करना।

अनुसूचित जनजाति

सीपीआई (एम) निम्न कदमों के लिए प्रतिबद्ध है :

- सभी सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की सभी रिक्तियों को कानूनी रूप से अनिवार्य समय सीमा के भीतर भरना।

- आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उनसे अवैध रूप से छीनी गई भूमि को वापस करना। विभिन्न कानूनों में किए गए ऐसे संशोधनों को वापस लेना, जो व्यापार करने में आसानी के नाम पर भूमि अधिग्रहण के लिए आदिवासी समुदायों की सहमति के अधिकार को खत्म करते हैं।
- राष्ट्रीय वन नीति को वापस लेना, जो वनों के निजीकरण की वकालत करती है और उसके स्थान पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने वाली उचित नीति लागू करना।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को पूर्ण रूप से लागू करना। वर्ष 1980 को कट–ऑफ वर्ष मानकर अन्य पारंपरिक वन निवासियों को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना। आदिवासियों को उनके आवास से बेदखल नहीं करना।
- आदिवासियों से खरीदे गए लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- वन संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित नियमों में और सरकारी परिपत्रों में किए गए ऐसे सभी संशोधनों को हटाना, जो अपनी अधिकारिता में क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेने की शक्तियों में ग्राम सभाओं की भूमिका को कमजोर करते हैं।
- पेसा और पांचवीं अनुसूची के तहत अधिकारों का संरक्षण। जनजातीय भाषाओं और लिपियों की मान्यता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। भीली, गोंडी और कोकबोराक जैसी जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना। संबंधित राज्य सरकारों को आदिवासियों की भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके प्रवास के बावजूद, उनकी अनुसूचित जनजातीय पहचान और अधिकारों के साथ, राज्य सरकारों की घोषित अधिवास (मूल निवासी) सूची में ऐसे आदिवासियों का स्वतः समावेशन।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सभी आदिवासियों को शामिल करते हुए मुफ्त और रियायती खाद्यान्न का अधिकार देना।
- आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि और सभी आदिवासी छात्रावासों का समयबद्ध ऑडिट और सुविधाओं का उन्नयन करना।

अल्पसंख्यक

सीपीआई (एम) निम्न कदमों के लिए प्रतिबद्ध है :

- अल्पसंख्यक आयोग को बढ़ी हुई शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ एक वैधानिक निकाय बनाना और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के दर्जे को बढ़ाना।
- सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदिवासी उप–योजना की तर्ज पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक उप–योजना तैयार करना। सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद बनाए गए अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास कार्यक्रम को संवर्धित करना और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन और विशेष पहल सुनिश्चित करने के लिए उन जिलों को लक्षित करके इसमें संशोधन करना, जहां मुस्लिम आबादी केंद्रित है।
- ईसाईयों सहित अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए अल्पसंख्यक अत्याचार निवारण अधिनियम बनाना।
- रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना। तत्काल उपाय के रूप में सभी ओबीसी मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समुदाय का विशाल बहुमत बनाते हैं, राज्यवार विशिष्ट आबंटन के साथ ओबीसी कोटा में शामिल करना।
- बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का 15 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए निर्धारित करना। स्व–रोजगार वाले मुस्लिम युवाओं के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण सुनिश्चित करना।
- मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देना। मुस्लिम छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- स्कूलों में उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा देना, उर्दू में अच्छी गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करना और उर्दू शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरना।
- आतंक के मामलों में बरी किए गए सभी मुस्लिमों को मुआवजा देना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने, उन्हें यातना देने आदि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सजा सुनिश्चित करना। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करना।
- मॉब लिंचिंग (भीड़ प्रताड़ना) के सभी पीड़ितों को मुआवजा देना।

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सभी निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का विस्तार करना।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मजबूत बनाना।
- ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- ओबीसी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तैयार की गई योजनाओं की तर्ज पर योजनाओं का व्यापक पैकेज डिजाइन करना।

एलजीबीटीक्यू+

- इस समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन करना।
- समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह के समान कानूनी मान्यता और सुरक्षा देना– 'नागरिक संघ'/ 'समान–लिंग–साझेदारी'। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के समान कानून/कानूनों को बनाना, ताकि विरासत के लिए और तलाक के मामले में गुजारा भत्ता आदि के लिए साथी को आश्रित के रूप में सूचीबद्ध किया जा सके।
- LGBTQ+ को कवर करने वाला एक सर्वसमावेशी भेदभाव–विरोधी विधेयक बनाना।
- शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। रोजगार में क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करना।
- एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को गैर–एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के समान माना जाना सुनिश्चित करना।
- शैक्षणिक स्थानों में अनिश्चित लिंग और एलजीबीटीक्यू+ छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ बदमाशी, हिंसा और उत्पीड़न से निपटने के लिए कदम उठाना। यूजीसी एंटी–रैगिंग नीति संशोधन (2016) को लागू करना, जो यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर रैगिंग को संबोधित करता है। ट्रांस, इंटरसेक्स और अनिश्चित लिंग के छात्रों, कर्मचारियों और संकाय की बाथरूम तक सुलभ और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना।
- एलजीबीटीक्यूआई की लिंग परिवर्तन सर्जरी उनकी सूचित सहमति के

बिना नहीं करना।

विकलांग व्यक्ति

सीपीआई (एम) निम्न कदमों के पक्ष में है :

- विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को क्रॉस–सेक्टोरल मुद्दे के रूप में मान्यता देना। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडी अधिनियम) के उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को फिर से डिजाइन करना।
- लिंग बजट के अनुरूप विकलांगता बजटिंग को लागू करना। सभी मंत्रालयों में विकलांगों के लिए 5 प्रतिशत बजट आबंटन का निर्धारण करना, आरपीडी अधिनियम के विभिन्न अधिदेशों को पूरा करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन के लिए ज्यादा बजट आबंटन करना।
- आरपीडी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन।
- विकलांगों के लिए आवश्यक सहायक उपकरणों और साधनों पर से जीएसटी हटाना।
- विकलांग प्रमाणन प्रक्रिया का सरलीकरण, शीघ्र प्रमाणीकरण और यूडीआईडी कार्ड की सार्वभौमिक वैधता सुनिश्चित करना।
- विकलांगों के लिए निजी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का विस्तार। समावेशी शिक्षा के अधिदेश को लागू करना।
- राज्यों में न्यूनतम वेतन/जीवनयापन की लागत के साथ जोड़कर न्यूनतम विकलांगता पेंशन 6000/– रुपये देना। देखभाल भत्ता शुरू करके देखभाल करने वालों को भी इतनी ही राशि दिया जाना। सभी विकलांगों को आयुष्मान आरोग्य योजना (एएवाई) कार्ड उपलब्ध कराना। सभी विकलांगों के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।
- विकलांग महिलाओं को आजीविका और आवास के साथ–साथ यौन और प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने में सहायता करना।
- संविधान के अनुच्छेद–15 और अनुच्छेद–16 में संशोधन करना, ताकि विकलांगता के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप सभी कानूनों को सुसंगत बनाना।

आम जनता के कल्याण के लिए

सीपीआई (एम) निम्न काम करेगी :

शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को रोकना। शिक्षा के व्यावसायीकरण, संप्रदायीकरण और केंद्रीकरण को रोकना।
- शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय करना।
- शिक्षा और पाठ्य पुस्तकों से सांप्रदायिक सामग्री हटाने के लिए कदम उठाना। यह सुनिश्चित करना कि राज्य वित्त पोषित संस्थानों में कोई भी कुलपति या प्रमुख अधिकारी धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण का न हो।
- विश्वविद्यालयों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि जैसे निकायों में सभी नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता और पेशेवर क्षमता एकमात्र मानदंड होना। पाठ्यक्रम के सांप्रदायीकरण को उलटने के लिए विशेषज्ञों की एक समीक्षा समिति की स्थापना।
- एक सामान्य स्कूल शिक्षा प्रणाली की स्थापना। सरकारी स्कूलों को बंद करना या विलय करने पर रोक। केरल मॉडल पर सरकारी स्कूलों का उन्नयन। छात्र–शिक्षक अनुपात को घटाकर 20:1 करना।
- निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। पड़ोस में स्कूली शिक्षा की अवधारणा को संस्थागत बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) में संशोधन करना, इसको प्राथमिक स्तर से आगे बढ़ाना और निरंतरता में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। प्रत्येक स्कूल का आरटीई के अनुरूप होना सुनिश्चित करना।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या (ड्रॉपआउट) को कम करने और इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना। एसएसए स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना। पिछड़े क्षेत्रों में और अन्यथा हाशिए पर रहने वाले समूहों के छात्राओं और विद्यार्थियों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए नियमों, समय और अन्य पहलुओं में लचीलेपन की अनुमति देना।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समितियां गठित करना।

- निजी शिक्षण संस्थानों में फीस, प्रवेश और पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए कानून बनाना।
- उच्च शिक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देनाद्य
- शिक्षा के सभी स्तरों पर वैज्ञानिक, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को इस तरह तैयार करना कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को पहचान मिले।
- वर्तमान में संविदा या पैरा–शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को नियमित करना।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव अनिवार्य करना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर हमले रोकना।
- उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण बढ़ाना।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के लिए विदेशी फेलोशिप बहाल करना।
- दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए रोहित अधिनियम लागू करना। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिविर और सुलभ हेल्पलाइन।

स्वास्थ्य

- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उचित कानून बनाकर मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को न्यायसंगत बनाना।
- संघवाद पर जोर देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य का विषय बनाए रखना।
- केंद्र की कम–से–कम 2 प्रतिशत राशि के साथ स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत करना।
- स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत जेब से होने वाले खर्च को कुल स्वास्थ्य खर्च के 25 प्रतिशत से नीचे लाना। दवाओं, निदान और टीकों की संपूर्ण श्रृंखला और स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेही सहित सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना/आयुष्मान

भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को खत्म करना और इसकी जगह जन–केंद्रित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली लाना।

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निजीकरण और पीपीपी के माध्यम से सेवाओं की आउटसोर्सिंग को उलटना।
- पेशागत स्वास्थ्य समस्याओं को कवर करते हुए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में मजदूरों के स्वास्थ्य की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए के लिए ईएसआई योजना का विस्तार और उसमें सुधार करना।
- निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, विशेष रूप से कॉर्पोरेट अस्पतालों को प्रभावी ढंग से विनियमित करना और उन्हें क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत लाना। रोगी अधिकार चार्टर के क्रियान्वयन और विभिन्न सेवाओं की उचित दरों और गुणवत्ता के मानकीकरण को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 को संशोधित करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ संशोधित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एकीकरण के माध्यम से मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के व्यापक उपचार और देखभाल तक अधिकार–आधारित पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत–आधारित प्रभावी मूल्य नियंत्रण, अतार्किक और खतरनाक फॉर्मूलेशन के उन्मूलन और सभी खुदरा दुकानों पर लेबलिंग, नुस्खे और उपलब्धता को कवर करने वाली एक व्यापक जेनेरिक दवा नीति के साथ एक जन–केंद्रित, तर्कसंगत फार्मास्युटिकल नीति अपनाना। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा–केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कार्यक्रम बनाना।
- आवश्यक दवाओं और टीकों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मास्युटिकल इकाइयों को पुनर्जीवित करना और निजीकरण की प्रवृत्ति को उलटना। सस्ती दवाओं के लिए ओपन–सोर्स ड्रग डिस्कवरी (ओएसडीडी) कार्यक्रम और सहयोगी अनुसंधान एवं विकास को बहाल करना। जीवनरक्षक और महत्वपूर्ण दवाओं से जीएसटी हटाना।
- नैदानिक (क्लिनीकल) परीक्षणों को सख्ती से नियंत्रित और विनियमित करना और अनैतिक नैदानिक परीक्षणों पर रोक लगाना। नैदानिक परीक्षण प्रतिभागियों के लिए अधिकारों का एक न्यायसंगत चार्टर विकसित करना।

- भारत के पेटेंट कानूनों को कमजोर करने का विरोध करना और मुक्त व्यापार समझौतों में उन प्रावधानों को अस्वीकार करना, जो कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के घरेलू उत्पादन में बाधा डालते हैं।
- आयुष चिकित्सा प्रणाली के साक्ष्य–आधारित उपयोग का समर्थन करते हुए, इस प्रणाली का प्रभावी, उचित नियामक निरीक्षण करना।
- डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए नए सार्वजनिक कॉलेजों की स्थापना को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से कम सेवा वाले उत्तर–पूर्व और गरीब राज्यों में। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।
- दवाओं की मार्केटिंग पद्धतियों पर नैतिक संहिता को अनिवार्य बनाना।

रोजगार गारंटी

- सभी शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून बनाना।
- मनरेगा के तहत 200 दिन का काम सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करने के लिए मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची का विस्तार करना। ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली को वापस लेना।
- रोजगार सृजन में श्रम–सघन उद्योगों को मदद देने के लिए विशेष पैकेज।
- श्रम–सघन प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी को नियंत्रित करना। नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन/रियायतें देने को संबंधित प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन के साथ जोड़ना।
- सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरना। भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाना और हर वर्ष सरकारी पदों का 3 प्रतिशत सरेंडर करने पर प्रतिबंध लगाना। सभी बैकलॉग पदों को भरना सुनिश्चित करना।

वरिष्ठ नागरिक

- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित, सार्वभौमिक और गैर–अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली की तुरंत स्थापना करके वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाना, जिसमें मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत या न्यूनतम 6,000/– रुपये प्रतिमाह, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी। आयकर दाताओं या किसी अन्य

स्रोत से उच्च पेंशन प्राप्त करने वालों को छोड़कर, भारत के सभी नागरिक इस पेंशन के लिए व्यक्तिगत रूप से पात्र होंगे।

- पेंशन में वार्षिक संशोधन के लिए इसे उपभोक्ता कीमतों के सूचकांक से जोड़ना।
- वृद्धावस्था पेंशन हेतु एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना।
- राज्य की मदद से वृद्धाश्रमों/डे–केयर सेंटरों/उपशामक देखभाल केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना। वृद्धावस्था देखभाल के लिए अधिक मदद जुटाना।

पूर्व सैनिक

- वन रैंक, वन पेंशन को पूरी तरह से लागू करना। सशस्त्र बल कर्मियों को दी जाने वाली हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजे के नए नियमों के संबंध में चिंताओं का समाधान करना।
- सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों, उनकी विधवाओं और आश्रित व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना, उनके साथ सशस्त्र बलों के समान व्यवहार करना।
- पूर्व सैनिकों की शिकायतों और मुद्दों के समाधान के लिए एक पूर्व सशस्त्र बल अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करना।

शहरी मुद्दे

तेजी से हो रहे शहरीकरण और असंतुलित विकास की पृष्ठभूमि में, सीपीआई (एम) स्वयं को प्रतिबद्ध करती है :

- शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक और असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय।
- पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण रोकना।
- बेदखली अभियान और झुग्गियों को ध्वस्त करना बंद करना। बुनियादी सुविधाओं का यथास्थान विकास सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक आवास सुविधाओं, सार्वजनिक परिवहन और पार्कों का विस्तार करना।
- सभी प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए कदम उठाना।

- एक नई शहरी नीति की दिशा में काम करना, जो निजी रियल एस्टेट हितों पर आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता दे।
- 74वें संविधान संशोधन को मजबूत करके शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना।
- सभी निवासियों के लिए उचित आवास, पानी और स्वच्छता सुविधाओं के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।

पर्यावरण

- राज्य और केंद्र के स्तर पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रणाली और प्रक्रियाओं को प्रभावी, समयबद्ध, पारदर्शी, जवाबदेह और हितों के टकराव से मुक्त बनाना। ईआईए अधिसूचना 2020 को निरस्त करना और संशोधित दिशा–निर्देश जारी करना।
- जीवाश्म ईंधन से उचित तरीके से संक्रमण करते हुए, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था–व्यापी उपायों की योजना बनाना और लागू करना। सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- कृषि, अत्यधिक वर्षा और संबंधित भूस्खलन और शहरी बाढ़, गर्म लहरों और शहरी गर्म द्वीपों, तटीय कटाव और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों को शामिल करते हुए एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) विकसित करना।
- नाजुक हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट और उत्तर–पूर्व के पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों के लिए टिकाऊ और पर्यावरण/ जलवायु–अनुकूल विकास रणनीतियां विकसित करना।
- शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में तेजी से और लक्ष्य–उन्मुख कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को पूरी तरह से संशोधित करना।
- शहरी क्षेत्रों सहित नदी तलों और मैदानों में बाढ़ से क्षरण और विनाशकारी विकास को रोकने के लिए तत्काल उपाय शुरू करना।

- जैव–विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के उन प्रावधानों को निरस्त करना, जो जैव–विविधता संसाधनों के संबंध में ज्ञान को कॉर्पोरेटों को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
- अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में द्वीप श्रृंखलाओं के लिए पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी और कॉर्पोरेट–समर्थक द्वीप विकास योजना को रद्द करना। अंडमान एवं निकोबार में प्रस्तावित नौसैनिक अड्डे की व्यवहार्यता और स्थान की पुनः जांच करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन को ख़त्म करना, जो पैदावार के अत्यधिक बढ़े हुए दावों के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उत्तर–पूर्व और अंडमान द्वीपों पर अपने मिशन को केंद्रित करता है।

जल संसाधन

- पानी को एक दुर्लभ सार्वजनिक वस्तु मानते हुए राष्ट्रीय जल नीति को फिर से तैयार करना। बढ़ते जल संकट से निपटना। नदियों के प्रभावी संरक्षण, जल निकायों के विस्तार और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि के माध्यम से अनुकूलित घरेलू उपयोग, सिंचाई और उद्योग के लिए समान रूप से पानी की उपलब्धता बढ़ाना। उचित कानून, प्रभावी विनियमन और पानी की मांग का प्रबंधन करना। जल ऑडिट और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पानी के संरक्षण, उपचार और पुनर्चक्रण के उपाय।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप सभी घरों में समान रूप से पाइप से पेयजल पहुंचाने का प्रावधान।
- शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों और जल वितरण उपयोगिताओं के निजीकरण को रोकना और पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देना।
- प्रभावी कानून, सीवेज और अन्य अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण नीतियों के विनियमन और प्रवर्तन के माध्यम से नदियों और अन्य जल निकायों के प्रदूषण की जांच करना। केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को खत्म करने की अनुमति देने वाले जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन, 2024 के प्रावधानों को वापस लेना।
- नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा करना।
- विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और

सुधार के उपाय लागू करना। ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)

- बुनियादी अनुसंधान को उचित महत्व देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्वदेशी अनुसंधान के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण को सकल घरेलू उत्पाद का कम–से–कम 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में विश्वविद्यालय प्रणाली को मजबूत करना। अनुसंधान फेलोशिप की संख्या में वृद्धि। संस्थानों में संकाय अनुसंधान पदों की संख्या में वृद्धि। पीएचडी की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना।
- अनुसंधान निधि के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करना। नई शिक्षा नीति के तहत स्थापित अत्यधिक केंद्रीकृत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) को खत्म करना।
- कई सरकारी वित्त पोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को बंद करने के निर्णय की समीक्षा करना। पुनर्गठित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिए सरकारी मदद फिर से शुरू करना।
- आम जनता की समस्याओं जैसे रू सूखा, जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका और हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे से निपटने हेतु राज्य–स्तरीय पहल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के लिए धनराशि निर्धारित करना।
- ''चौथी औद्योगिक क्रांति'' के पहचाने गए क्षेत्रों जैसे : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), जैव और नैनो–प्रौद्योगिकी आदि के लिए मिशन–मोड पर अपेक्षित अनुसंधान और विकास के लिए फंड प्रदान करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने और जलवायु–लचीला कृषि/बागवानी को सक्षम करने के लिए कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना।
- एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) अनुसंधान और नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यवस्थित उपाय करना य प्रतिभा पलायन को उलटने की दिशा में शैक्षणिक स्वतंत्रता और अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- आम जनता के हित में एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डेटा–माइनिंग और आईटी–आधारित निगरानी को विनियमित करना।

- संविधान द्वारा निर्देशित वैज्ञानिक स्वभाव, जांच की भावना और सुधार को बढ़ावा देना। एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय के साथ विज्ञान के प्रसार को पुनर्जीवित करना और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना।
- कॉपीराइट या पेटेंट के माध्यम से मुक्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) और अन्य नई तकनीकों को एकाधिकार स्वामित्व से मुक्त करना तथा उन्हें बढ़ावा देना। जैव प्रौद्योगिकी, एआई और दवाईयों की खोज जैसे विषयों में ''ज्ञान सामान्य'' को बढ़ावा देना।
- जनता की भलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी सार्वजनिक अधोसंरचना के रूप में डिजिटल अधोसंरचना को मान्यता देना।
- सार्वजनिक संचार नेटवर्क में निवेश करना और कॉपीराइट बाधाओं के बिना वैज्ञानिक और अन्य अकादमिक प्रकाशनों तक निःशुल्क ज्ञान पहुंच। सभी सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान को सबके लिए सुलभ बनाना अनिवार्य करना।

निगरानी और गोपनीयता के मुद्दे

- स्पष्ट और विशिष्ट वारंट के बिना और सख्त न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत, राज्य एजेंसियों द्वारा सभी प्रकार की डिजिटल निगरानी को रोकना। नागरिकों के फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मैलवेयर, हैकिंग या पेगासस जैसी अन्य घुसपैठ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकना।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) को खघ्त्म करना, जिसका उद्देश्य राज्य एजेंसियों को नागरिकों पर निगरानी की व्यापक शक्तियां देकर डिजिटल अधिनायकवाद को मजबूत करना है और साथ ही बड़े व्यवसायों को अपने स्वयं के लाभ के लिए नागरिकों के डेटा का उपयोग करने की खुली छूट देना है।
- मौलिक अधिकार के रूप में निजता पर सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी फैसले को एक उचित न्यायसंगत ढांचा देने के लिए नया कानून पेश करना। नागरिकों के निजता के अधिकार का सरकार के साथ–साथ निजी व्यवसायों द्वारा उल्लंघन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण गठित करने के लिए नया कानून बनाना।
- दूरसंचार और डिजिटल एकाधिकार की शक्ति पर प्रभावी ढंग से अंकुश

लगाने और विनियमित करने में सक्षम होने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मजबूत करना।

- निगरानी और अवरोधन, इंटरनेट शटडाउन, एन्क्रिप्टेड सेवाओं को कमजोर करने और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की केवाईसी आवश्यकताओं से संबंधित दूरसंचार अधिनियम 2023 के कठोर प्रावधानों को वापस लेना।
- कठोर आईटी संशोधन नियम (2023) को वापस लेना, जो केवल केंद्र सरकार के विवेक पर एक तथ्य जांच इकाई की स्थापना के लिए सरकार को पूर्ण सेंसरशिप शक्तियां प्रदान करता है और जिसका उद्देश्य ऑनलाइन आलोचना पर हमला करना है।

संस्कृति और मीडिया

- संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहित और विकसित करना। किसी पर हिंदी थोपी नहीं जायेगी।
- धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक ताकतों द्वारा सांस्कृतिक हस्तियों और प्रस्तुतियों पर हमलों से सख्ती से निपटना।
- हिंसा के महिमामंडन और महिलाओं एवं सेक्स के उपभोक्ताकरण पर अंकुश लगाना।
- इंटरनेट प्रशासन को अमेरिकी नियंत्रण से निकालकर एक उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय में ले जाना। एक जन–केंद्रित इंटरनेट को बढ़ावा देना, जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो और वैश्विक निगमों के नियंत्रण से मुक्त हो। एक वैश्विक इंटरनेट व्यवस्था को बढ़ावा देना, जो निजता के अधिकार की रक्षा करें और किसी भी सरकार को बड़े पैमाने पर निगरानी की अनुमति नहीं दें।
- फर्जी खबरों के प्रसार को नियंत्रित करने और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने वाले समूहों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाना।
- पत्रकारों को मनमानी गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाने के लिए कानून बनाना।
- सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी और सामूहिक मीडिया संगठनों को प्रोत्साहित करना। प्रसार भारती निगम को एक वास्तविक सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में मजबूत करना।
- मीडिया को नियंत्रित करने वाले एकाधिकार और क्रोनी कंपनियों को

रोकने के लिए क्रॉस–मीडिया स्वामित्व को विनियमित करना। प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पर रोक लगाना।

- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए एक साझा मीडिया काउंसिल की स्थापना करना, जिसमें मीडिया, मीडिया यूनियनों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सार्वजनिक व्यक्ति शामिल होंगे। वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद से पत्रकारों की खराब कामकाजी परिस्थितियों और मीडिया में नए रुझानों का अध्ययन करने के लिए एक मीडिया आयोग की स्थापना करना।
- श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को बहाल और मजबूत करना, ताकि इसमें सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों में कार्यरत पत्रकारों और मजदूरों को शामिल किया जा सके, ताकि उनके उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मीडिया संगठनों में कार्यरत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों के वेतन में संशोधन के लिए एक नया वेतन बोर्ड गठित करना।
- आईटी नियमों में 2021 के संशोधनों को वापस लेना और प्रेस व पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2022 के मसौदे की समीक्षा करना। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन अधिनियम) की जगह लेने वाले प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के मसौदे पर विचार नहीं।

संस्थागत सुधारों के लिए

सीपीआई (एम) इसके पक्ष में है :

- व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन सभी प्रावधानों की समीक्षा और सुधार करना, जो भाषण, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं।
- सीवीसी, सीबीआई, ईसीआई, राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, महिला आयोग, एससी/एसटी आयोग आदि जैसे निगरानी, नियामक और न्यायिक निकायों में नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करके वैधानिक, संवैधानिक और नियामक निकायों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और सभी प्रकार के, विशेषकर उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय अपनाने के लिये शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण करना, मुखबिरों की सुरक्षा करना। न्याय तक पहुंच को त्वरित और किफायती बनाना और चुनाव प्रणाली में सुधार करना।

भ्रष्टाचार से लड़ना और जवाबदेही बढ़ाना

- पिछले चार वर्षों में लोकपाल के कामकाज के अनुभव के आधार पर लोकपाल की संस्था को मजबूत करने और कार्यपालिका से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के कदम उठाना।
- कॉर्पोरेट अपराधों की गहन जांच के लिए नियामकों और जांच एजेंसियों को सशक्त बनाना।
- निजी वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र और सभी सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं को लोकपाल अधिनियम, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम और अन्य संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के दायरे में लाना।
- आरटीआई उपयोगकर्ताओं और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना और इसे प्रभावी बनाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम को मजबूत करना और शासन में निर्णय लेने के सभी पहलुओं में नागरिकों की भागीदारी के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना। कानूनों को पारित करने से पहले नागरिकों की प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण पूर्व–विधायी प्रक्रिया के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा–4 को लागू करना।
- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) का दुरुपयोग रोकना और इसमें उचित सुधार करना।

न्यायिक सुधार

- एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना, जिसमें नियुक्तियों, स्थानांतरणों और न्यायाधीशों के कमीशन/निष्कासन के मामलों की जांच करने और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और बार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- आम लोगों को सस्ती कीमत पर त्वरित राहत प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार करना। न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना।
- असहमति को दबाने हेतु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक अवमानना की परिभाषा में उपयुक्त संशोधन करना।
- न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा को अनिवार्य बनाना।

- सभी स्तरों पर न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और विविधता सुनिश्चित करना।

चुनाव आयोग में सुधार

- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 में संशोधन करना, ताकि चुनाव आयोग के सदस्यों को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सके।
- चुनाव आयुक्तों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन या राज्यपाल या विधायिका के सदस्य के रूप में किसी भी पद का आनंद लेने से कानूनी रूप से रोकना।
- चुनाव पर्यवेक्षकों के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना।

चुनावी सुधार

- आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सामग्री के रूप में राज्य का वित्तपोषण। राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग पर रोक लगाना।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग के संबंध में नियमों में उचित संशोधन करके लोकतंत्र में विश्वास बहाल करना। इसे सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों की वोटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को पुनः क्रमबद्ध करना। नतीजों की घोषणा से पहले कम–से–कम 50 प्रतिशत वीवीपैट का मिलान नियंत्रण इकाई में दर्ज वीवीपैट से किया जाना।
- राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च को उम्मीदवारों की तरह सीमा के अंतर्गत लाना। चुनावी खर्च की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

* * *

संविधान की रक्षा करो लोकतंत्र बचाओ

सीपीआइ(एम) को वोट दो

बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराएं!

लोकसभा में सीपीआइ (एम) और वामपंथी दलों की ताकत बढ़ाएं!

सुनिश्चित करें कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने!

अप्रैल 2024 मूल्य : 15 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए मुरलीधरन द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-10001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा से मुद्रित.